REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 102/2019

ASHISH KUMAR DIXIT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1-8
2.	Annexure - 1	9-10
3.	Annexure – 2	11-35
4.	Annexure – 3	36-57
5	Annexure – 4	58-84
6	Annexure - 5	85-111

SUPPLEMENTARY REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE IN COMPLIANCE OF ORDER OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PASSED IN O.A. NO. 102/2019 IN RE: ASHISH KUMAR DIXIT VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

***

I. BACKGROUND

This report is in continuation to an earlier report sent by Oversight Committee to Hon'ble NGT on 14.10.2020. The Hon'ble NGT in O.A. No. 102/2019 vide order dated 24.01.2019 considered the issue of damage to environment due to unauthorized operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Water(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016. The UPPCB was directed to look into the matter in the first instance in exercise of its statutory powers and take such appropriate action as may be found necessary in accordance with law and furnish a factual and action taken report to the Hon'ble Tribunal. Also, the UPPCB was directed to inter-alia examine the issues of disposal of municipal solid waste, plastic waste, sewage, biomedical waste, norms of noise pollution and extraction of groundwater. The report furnished by UPPCB was considered by the Hon'ble NGT in its order dated 10.05.2019.

Vide order dated 24.07.2020, Hon'ble Tribunal directed UPPCB to use the environmental restoration funds for restoration of the environment such as strengthening vigilance mechanism, setting up of laboratories, for monitoring of environment, coordination with the District Magistrates to prepare District Environment Plans, hiring of experts and consultants, undertaking remediation and study of contaminated sites etc. Thus, the UPPCB was directed to revisit its plan and the CPCB was directed that they may oversee preparation of such action plan in the light of earlier orders of this Tribunal.

It was informed by UPPCB as per the compliance received on 23.09.2020 that it has submitted the revised action plan to CPCB vide letter dated 17.09.2020. They have also conducted meeting of Chairman and Member Secretary CPCB with Chairman and Member Secretary of UPPCB through video conferencing on 25.08.2020.

II. MINUTES OF MEETING DATED 08.10.2020

The Oversight Committee reviewed the compliance status in an online meeting dated 08.10.2020. The minutes of meeting are attached as **Annexure 1.**The major information provided by the concerned officials in the meeting was as following:

1. The District Magistrates of Banda, Mahoba, Chitrakoot provided the details regarding varied issues. Table 1.1 below presents an overview of the same.

Table 1.1: Compliance Status in O.A 102/2019

District	Banda	Mahoba	Chitrakoot	Hamirpur
Total no. of banquet halls	42	25	23	11
No. of banquet halls in non-compliance	42	25	23	11
EC imposed on non-complied banquet halls (in Lakhs)	63.6875	33.75	19.3125	15.125
Bio-medical Waste Management Rule, 2016: Total no. of Gov. hospitals	55	21	36	42
Total no. of authorized Gov. hospitals	55	21	36	42
Total no. of private health care facilities	58	78	26	25
Total no. of authorized private health care facilities	48	09	22	21
Total no. of private health care facilities whose authorization has been cancelled and charged with environmental damages	10	59	04	04
Total no. of private health care facilities whose authorization applications have been cancelled	-	10		
Notice issued to Nagar Palika under Solid Waste Management Rule, 2016	08	05	03	07

2. The Committee recommended that all the stakeholders should be called for a meeting under the Chairmanship of concerned District Magistrates or any other senior officer

designated by DM to inform and train the stakeholders regarding Environment and Waste Management. Post this meeting, training sessions be organized and stakeholders be given one month's time to implement the management practices.

3. Moreover, it was made clear that the purpose of the Committee is to protect the environment and not create hurdles in running of any business activity.

III. COMPLIANCE STATUS RECEIVED FROM UPPCB ON 25.11.2020

As per the directions given by Oversight Committee NGT vide meeting dated 08.10.2020, the district wise latest compliance status submitted by UPPCB on 25.11.2020 is as follows:

Hamirpur (Detailed report attached as Annexure 2)

- The total number of Banquet halls in Hamirpur is 11. Due to non-compliance of water pollution prevention measures as specified under Article 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, environmental compensation (EC) of Rs.15,12,500 has been imposed and notices regarding the same has been sent. Notices for recovery of EC was sent by Regional Office UPPCB, Banda to all the defaulting banquet halls. A copy of the same have been sent to DM, Hamirpur and Chief Environmental Officer (Circle-2), UPPCB.
- Taking into account the health care facilities in the area along-with the position of authorization as per Bio Medical Waste Management Rules, 2016, it has been submitted that there are 42 government hospitals in Hamirpur and all are authorized by the Board. Considering private health care facilities, it is reported that 21 are authorized from the Board while 04 are non-authorized and EC has been imposed on them.
- Regarding non-compliance of Solid Waste (Management) Rules, 2016, 07 Nagar Palika/ Panchayat have been served show cause notice.

Banda (Detailed report attached as Annexure 3)

- The total number of banquet halls in Banda is 42.Due to non-compliance of water pollution prevention measures as specified under Article 33A of Water (Prevention and

Control of Pollution) Act, 1974, environmental compensation EC of Rs. 6368750 has been imposed and notices regarding the same has been sent. Notices for recovery of EC has been sent by Regional Office UPPCB, Banda to all the defaulting banquet halls. A copy of the same have been sent to DM, Banda by Chief Environmental Officer (Circle-2), UPPCB.

- Taking into account the health care facilities in the area alongwith the position of authorization as per Bio Medical Waste Management Rules, 2016, it has been submitted that there are 55 government hospitals in Banda and all are authorized by the Board. Considering private health care facilities, it the submitted that 48 are authorized from the Board while 10 are non-authorized and EC has been imposed on them.
- Regarding non-compliance of Solid Waste (Management) Rules, 2016, 08 Nagar Palika/ Panchayat have been served show cause notice.

Mahoba (Detailed report attached as Annexure 4)

- The total number of banquet halls in Mahoba is 25. Due to non-compliance of water pollution prevention measures as specified under Article 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, EC of Rs. 3375000 has been imposed and notices regarding the same has been sent. Notices for recovery of EC has been sent by Regional Office Banda, UPPCB, to all the defaulting banquet halls. A copy of the same have been sent to DM, Mahoba by Chief Environmental Officer (Circle-2), UPPCB.
- Taking into account the health care facilities in the area alongwith the position of authorization as per Bio Medical Waste Management Rules, 2016, it has been submitted there are 21 government hospitals in Mahoba and all are authorized by the Board. Considering private health care facilities, it the submitted that 09 are authorized from the Board while 59 are non-authorized and EC has been imposed on them and authorization letter of 10 has not been approved.
- Regarding non-compliance of Solid Waste (Management) Rules, 2016, 05 Nagar Palika/ Panchayat have been served show cause notice.

Chitrakoot (Detailed report attached as Annexure 5)

- The total number of banquet halls in Chitrakoot is 23. Due to non-compliance of water pollution prevention measures as specified under Article 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, EC of Rs. 191450 has been imposed and notices regarding the same has been sent. Notices for recovery of EC has been sent by Regional Office UPPCB, Banda to all the defaulting banquet halls. A copy of the same have been sent to DM, Chitrakoot by Chief Environmental Officer (Circle-2), UPPCB.
- Taking into account the health care facilities in the area along with the position of authorization as per Bio Medical Waste Management Rules, 2016, it has been submitted there are 36 government hospitals in Chitrakoot and all are authorized by the Board. Considering private health care facilities, it is reported that 22 are authorized from the Board while 04 are non-authorized and EC has been imposed on them.
- Regarding non-compliance of Solid Waste (Management) Rules, 2016, 04 Nagar Palika/ Panchayat have been served show cause notice.

Furthermore, it has been reported that UPPCB issued guidelines regarding implementation of Water Act 1974, Air Act 1981, SWM Rules 2016, Plastic Rules, 2007, and Noise Pollution Prevention act 2000 to All the hotels, banquet halls, marriage halls, and restaurants vide letter dated 08.10.2020. The same has been published in a daily newspaper having circulation in the area (Dainik Jagran and AAJ on 22.11.2020).

IV. RECOMMENDATIONS BY OVERSIGHT COMMITTEE

1. Member Secretary UPPCB vide his affidavit dated 11.7.19 before NGT had mentioned that while they have issued notices to all the 24 ULBs in this region to establish Municipal Solid Waste Treatment Plant, none of them has established it. More than one year has elapsed and there is no change in the position reported. This appears to be a clear violation of the MSW Rules and disregard of NGT directives. This leaves us with little choice. The UPPCB may be directed to levy Environment Compensation on all 23

ULBs in this region, who have not established Municipal Solid Waste Treatment Facility (MSWTF) as per Hon'ble NGT directives in OA No. 209/2019 dated 26.02.2020 for violation of MSW Rules. It will accordingly be at the rate of Rs. 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per Local Body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other Local Body till compliance.

2. The Committee recommends UPPCB to serve closure notices to all hotels, banquet halls, restaurants, marriage halls which are running without Pollution NOC/ Consent to Operate in Districts Banda, Chitrakoot, Hamirpur and Mahoba with the condition that they may regularize the defects pointed out within a period of 45 days failing which the closure notice shall come into operation. Moreover, UPPCB must ensure recovery of EC imposed on the defaulters. The UPPCL may be directed to disconnect their electricity connections within 30 day of the closure order issued by UPPCB.

3. Member Secretary UPPCB be directed:
   i. To issue notice to concerned RO to explain his inaction/failure to perform his duties especially in case of marriage halls.
   ii. To initiate prosecution against defaulters.

4. This case initially pertained to Districts Banda, Mahoba and Chitrakoot. However, at the time of compilation of reports, report of District Hamirpur was also sent where this problem is present in equal measure. This leads us to the inference that hotels, marriage halls, commercial establishments and HCFs all over the State may be running without Pollution NOC/ Consent to Operate. It would be worthwhile if the scope of directions in this case be expanded to all the districts in the State.

5. After more than one year of specific directives by NGT, there is very little compliance in all the four Districts of the Division. Non-compliant units continue to carry out their

operations. Closure orders have not been implemented. Environment Compensation notices remain unexecuted. It appears to be just a paper exercise. No RCs appear to have been issued. This leads us to infer that either there is total apathy of the executing officers or there may be some infrastructural impediments or common issues which need higher level intervention. Commissioner, Chitrakoot may be directed to conduct enquiry in this regard and ensure compliance of NGT directions.

6. As directed by Hon'ble NGT UPPCB had to revisit its environment restoration plan for approval of CPCB. UPPCB has mentioned that they have sent the revised plan to CPCB which is pending with CPCB for more than two months. After CPCB approval, UPPCB may send a copy of the CPCB approved environment restoration plan to NGT with a copy to the Oversight Committee.

7. Despite NGT's directions of 15.7.19, Chief Secretary has not sent any report in this regard so far. He may be directed to review the situation and furnish report positively within one month.

8. All the marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments must also take approval for groundwater extraction for drinking and other purposes as per the orders of Hon'ble NGT dated 20.07.2020 in O.A. No. 176 of 2015 "There must be no general permission for withdrawal of ground water, particularly to any commercial entity, without environment impact assessment of such activity on individual Assessment units in cumulative terms covering carrying capacity aspects by an expert committee. Such permission should as per Water Management Plans to be prepared in terms of this order based on mapping of individual assessment units. Any permission should be for specified time and for specified quantity of water and not in perpetuity, and be necessarily subject to digital flow meters which cannot be accessed by proponents, with mandatory annual calibration by authorized agency at proponents' cost". CGWA and State Groundwater

Authority may be directed to ensure compliance of NGT's orders and submit a comprehensive report to NGT through the Oversight Committee in the next 3 (three) months.

9. All the concerned District Magistrates be directed to review the status fortnightly to ensure that all the marriage halls and health facilities becomes fully compliant and cease to become a threat to environment.

25-11-2020

X Anup Chandra Pandey

Dr Anup Chandra Pandey
Member, Oversight Committee
Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY

25-11-2020

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

November 25, 2020

Annexures: As above

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

Annexure - 1

9

Meeting No. 60

MINUTES OF MEETING OF OVERSIGHT COMMITTEE, NGT UP LUCKNOW HELD ON 08.10.2020 (ORGANISED WITH HELP OF NIC) THROUGH VIDEO-CONFERENCING

***

Present: **Hon'ble Mr Justice SVS Rathore, Chairman, and Dr Anup Chandra Pandey, Member.**

Other dignitaries present:

1. Shri Anurag Yadav, Secretary, Urban Development
2. Shri Anand Kumar Singh, District Magistrate, Banda
3. Shri Jitendra Singh, ADM Mahoba
4. Additional District Magistrate, Chitrakoot
5. Shri Ashish Tiwari, Member Secretary, UPPCB

The meeting was held as scheduled.

The Committee reviewed the progress towards compliance of the orders of Hon'ble NGT dated 24.07.2020 passed in **OA No. 102 of 2019** in re: *Ashish Kumar Dixit vs State of Uttar Pradesh and others.*

The Member Secretary UPPCB informed that they had submitted revisited action plan to CPCB vide letter dated 17.09.2020. Also, they had conducted meeting of Chairman and Member Secretary CPCB with Chairman and Member Secretary of UPPCB through video conferencing on 25.08.2020.

The District Magistrates of the district namely Banda, Mahoba, Chitrakoot had provided the following compliance reports:

District	**Banda**	**Mahoba**	**Chitrakoot**	**Hamirpur**
Total no. of banquet halls	42	25	23	11
No. of banquet halls in non-compliance	42	25	23	11
EC imposed on non-complied banquet halls (in Lakhs)	63.6875	33.75	19.3125	15.125

Bio-medical waste management rule, 2016: Total no. of Gov. hospitals	55	21	36	42
Total no. of authorized Gov. hospitals	55	21	36	42
Total no. of private health care facilities	58	78	26	25
Total no. of authorized private health care facilities	48	09	22	21
Total no. of private health care facilities whose authorization has been cancelled and charged with environmental damages	10	59	04	04
Total no. of private health care facilities whose authorization applications have been cancelled	-	10		
Notice issued to Nagar Palika under Solid waste management Rule, 2016	08	05	03	07

This Oversight Committee recommended that all the stakeholders should be called for a meeting under the chairmanship of District Magistrates concerned or any senior officer authorized by him to inform and train the stakeholders regarding the Environment Management and waste management processes. Post this meeting and training sessions the stakeholders should be given one month's time to implement all the management practices in their respective business models. It was made clear to all that the purpose of the Oversight Committee is to protect environment and not to create hindrances in running any business. This committee wants to ensure that the guide lines prescribed under law must be followed so that no damage is caused to environment.

08-10-2020

X Anup Chandra Pandey

Dr Anup Chandra Pandey
Member, Oversight Committee
Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY

08-10-2020

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

Oct 08, 2020

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

२०९५/एन०जी०टी०/ओ०ए०सं०-102/19/20

Annexure - 2
दिनांक 24/11/020

ई–मेल द्वारा

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 20.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में मांगी गई अनुपालन आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

/

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
2. सुश्री उर्वशी शर्मा, एस0आर0एफ0, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी महोदय, जनपद– हमीरपुर।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

24/11/20
क्षेत्रीय अधिकारी

c:\users\hp\desktop\letter1.docx

विषयः— **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

उपरोक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) द्वारा दिनांक 24.01.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके प्रमुख अंश निम्न है–

"The UPPCB may inter-alia examine the issues of disposal of municipal solid waste. plastic waste, sewage, bio&medical waste, norms, noise pollution and extraction of groundwater."

उपरोक्तानुसार माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2019 को निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था।(संलग्नक–1) जिसके अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में शपथपत्र दाखिल किया गया है।(छायाप्रति संलग्न–2)

1. **जनपद– हमीरपुर में स्थापित वैंकेट हाल– 11**
   (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 15,12,500.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर बोर्ड मुख्यालय स्तर से नोटिस प्रेषित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न–3)
2. जनपद– हमीरपुर में स्थापित वैंकेट हाल– 11 (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 15,12,500.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर व मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को पृष्ठांकित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न–4)
3. **जनपद हमीरपुर में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में–**
   क. सरकारी अस्पताल–42 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त)
   ख. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज –25 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त–21, प्राधिकार आवेदन पत्र निरस्त एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित–04) (छायाप्रति संलग्न–5)
4. **जनपद– हमीरपुर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–**
   जनपद– हमीरपुर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 07 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जनपद– हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, राठ, जनपद– हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मौदहा, जनपद– हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा, हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, गोहाण्ड, हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सरीला, हमीरपुर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सुमेरपुर, हमीरपुर) (छायाप्रति संलग्न–6)
5. माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त का विवरण। (संलग्नक–7)
6. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व

P.T.O.

प्लास्टिक नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी दी गई है।(छायाप्रति संलग्न–8)

7. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– जी33845/सी0–1/सामान्य–100/2020 दिनांक 08.10.2020 को वैधानिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी।(छायाप्रति संलग्न–9)
8. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व आज में विज्ञप्ति दिनांक 22.11.2020 को प्रकाशित करायी गई है। संलग्न–10

उपरोक्तानुसार माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

24/11/20

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा

Annexure-2 14

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक : F 35994/NGTCell-37/2019 दिनांक : 16/5/19

कार्यालय आदेश

ई-मेल

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

Issue for consideration is the punitive action against illegal operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016.......

.... 3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु जनपदवार निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है –

कम सं0	जनपद	समिति
1	हमीरपुर	श्री कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात श्री इमरान अली, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात
2	चित्रकूट	श्री वी0के0 मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा श्री राजकरन, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा
3	महोबा	श्री वी0के0 दुबे, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामदास, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी
4	बांदा	श्री जितेन्द्र लाल, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामनरेश, अनुश्रवण सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा

PTO

Scanned by CamScanner

3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

May 10, 2019
Original Application No. 102/2019
DV

स्थानान्तरण - 2 16

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2019

IN THE MATTER OF:
ASHISH KUMAR DIXIT .....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....**RESPONDENTS**

COMPLIANCE REPORT PURSUANT TO THE ORDER DATED 10.05.2019 ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

1. In the above noted matter this Hon'ble Tribunal has passed a detailed order on 10.05.2019 and directed the U.P. Pollution Control Board to submit the compliance report. Pursuant to the said order the compliance report is being submitted. A copy of the order dated 10.05.2019 is being enclosed herewith and marked as Annexure-1.

2. In compliance of the said order vide office order dated 16.05.2019 U.P. Pollution Control Board has constituted four committees for compliance of the order of this Hon'ble Tribunal. The copy of office order dated 16.05.2019 is enclosed herewith and marked as Annexure-2.

3. The said committees have made extensive survey of each of the district Mahoba, Chitrakoot, Hamirpur and Banda and submitted the reports. On the basis of the said report the compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal are as follows:

CamScanner

(a) 101 banquet halls, hotels and marriage homes have been found operating in these districts. Districtwise details of these hotel, banquet halls and marriage homes are as follows:

Banda	42
Chitrakoot	23
Hamirpur	11
Mahoba	25
Total	101

Since the above units have not taken any consent from the U.P. Pollution Control Board, hence environmental compensation of Rs. 1,31,87,500/- has been imposed on those units. It is further pointed out that out of these 101 units, 59 units are in green category and 42 units are in orange category. **Show cause notices under section 33-A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended have been issued to these units by the State Board.**

(b) The details of health care facilities in government sector and private sector alongwith the position regarding authorization under Bio Medical Waste Management Rules, 2016 in these districts are as follows:

Districts	Govt. HCFs		Private HCFs			
	Total Nos.	Authorization granted	Total Nos.	Authorization granted	Authorization rejected	Authorization applied/pending
Banda	55	55	58	48	10	0
Chitrakoot	36	36	26	22	4	0
Mahoba	21	21	78	9	59	10
Hamirpur	42	42	25	21	4	0
Total	154	154	187	100	77	10

Show cause notice against defaulting 77 HCFs have been issued under the provisions of section-5 of Environment (Protection) Act 1986.

Scanned by CamScanner

(c) The details of the local bodies in these districts are as follows:

Districts	No. of Urban local bodies	Position of MSW treatment facility	Details of action taken
Banda	8	Not established	Show Cause Notice
Hamirpur	7	Not established	Show Cause Notice
Mahoba	5	Not established	Show Cause Notice
Chitrakoot	3	Not established	Show Cause Notice

Show cause notices to these 23 defaulting urban local bodies to start prosecution and to impose environment compensation have been issued under the provisions of Environment (Protection) Act 1986.

Thus, the factual and action taken report is being submitted to this Hon'ble Tribunal.

(ASHISH TIWARI)
Member Secretary,
U.P. Pollution Control Board

by CamScanner

19

Annexure-1

Item No.05 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 102/2019

Ashish Kumar Dixit Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh &Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 10.05.2019

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s):
For Respondent(s): Mr. Pradeep Misra and Mr. DaleepDhyani, Advocates for UPPCB

ORDER

1. Issue for consideration is the punitive action against illegal operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016.

Scanned by CamScanner

2. Vide order dated 24.01.2019, an action taken report was required to be furnished by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). The UPPCB has filed its report vide e-mail dated 05.05.2019 by acknowledging violation of law by several establishments. The report is as follows:

> *"All 23 local bodies situated in this regional Office has not established MSWTF in their area. The notice has been sent to the all concerned 23 local bodies for the compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016.*
>
> *In the District Banda there are 11 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 11 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2a***
>
> *In the District Chitrakoot there are 05 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 05 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2b***
>
> *In the District Hamirpur there are 11 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 11 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2c***
>
> *In the District Mahoba there are 07 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 07 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2d***
>
> *In District Banda there are 55 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. The **details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3a.***

In District Chirakoot there are 36 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3b.***

In District Hamirpur there are 42 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3c.***

In District Mahoba there are 21 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3d.***

In District Banda there are 57 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 42 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 15 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4a

In District Chitrakoot there are 19 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 11 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 08 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4b

In District Hamirpur there are 20 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 19 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 01 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4c

In District Mahoba there are 39 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 03 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 36 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4d."

Hamirpur

संलग्नक-3

S.No.	Name & Address of Industry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	Total amount of Environment Compensation in Rupess
1.	M/s Hari Guest House Jail Road Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
2.	M/s Mangalam Guest House Nikat Vidya Mandir School Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
3.	M/s Vedika Guest House King Road Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
4.	M/s Sabari Guest House Khalepura Shafiganj Bazar Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
5.	M/s Shyam Guest House Naubasta Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
6.	M/s Varun Guest House Naubasta Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
7.	M/s Gyan Garden Guest House Vivek Nagar hamirpur	6,250.00	22	137500.00
8.	M/s Pukar Guest House Meher Baba Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
9.	M/s Shikha Garden Guest House Near Income Tax Office Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
10.	M/s Kanchan Laug and Restrorent Near Bus Stand Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
11.	M/s Pooja Laug Near Islamiya Inter College Hamirpur	6,250.00	22	137500.00
Total				1512500

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बाँदा

EC For Hotels in Hamirpur

S. N.	Name and Address of Insustry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	ToTal Amount of Environment Compensation in Rupess	Regional Office Letter No.
1.	M/s Hari Guest House Jail Road Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(11) 20.11.2020
2.	M/s Mangalam Guest House Nikat Vidya Mandir School Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(10) 20.11.2020
3.	M/s Vedika Guest House King Road Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(9) 20.11.2020
4.	M/s Sabri Guest House Khalepura	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(8) 20.11.2020
5.	M/s Shyam Guest House Naubasta Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(7) 20.11.2020
6.	M/s Varun Guest House Naubasta Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(6) 20.11.2020
7.	M/s Gyan Garden Guest vivek Nagar Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(5) 20.11.2020
8.	M/s Pukar Guest House Meher Baba Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(4) 20.11.2020
9.	M/s Shikha Garden Guest House Near Income Tax Office Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(3) 20.11.2020
10.	M/s Kanchan Laug and Restrorent Near Bus Stand Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(2) 20.11.2020
11.	M/s Pooja Laug Near Islamiya Inter College Hamirpur	6,250.00	22	1,37,500.00	2072(1) 20.11.2020

संलग्नक - 5 24

Status of Gov. HCF District Hamirpur complinc Medical Waste Rules, 2016

(No.-1)

Sl. NO	Name & Add. of HCFs	Private/ Government	No. Of Beds	Quantity of Waste (kg/day)
1	2	3	4	5
1	M/s Dist. Hoapital (Male) , Hamirpur	Government	30	7.50
2	M/s Dist. Hoapital (Female) , Hamirpur	Government	68	17.00
3	M/s CHC, Sarila, Hamirpur	Government	30	7.50
4	M/s CHC,, Kurara, Hamirpur	Government	30	7.50
5	M/s CHC,, Rath, Hamirpur	Government	30	7.50
6	M/s CHC,,Maudaha , Hamirpur	Government	30	7.50
7	M/s CHC,, Nauranga, Hamirpur	Government	30	7.50
8	CHC IMILIYA HAMIRPUR	Government	30	7.50
9	M/s CHC,, Muskara Hamirpur	Government	30	7.50
10	M/s PHC,,Sumerpur,Hamirpur	Government	4	1.00
11	M/s PHC, Gohand,Hamirpur	Government	4	1.00
12	PHC GAHROLI MUSKARA HAMIRPUR	Government	2	0.50
13	PHC RURIPARA, MUSKRA	Government	4	1.00
14	PHC BIWAR HAMIRPUR	Government	2	0.50
15	PHC DHAGWA SARILA	Government	4	1.00
16	PHC ARTARA MAUDAHA HAMIRPUR	Government	2	0.50
17	PHC BIHUNIKALA MUSKARA	Government	2	0.50
18	PHC ICHAULI, MAUDAHA	Government	4	1.00
19	PHC SISOLAR HAMIRPUR	Government	2	0.50
20	PHC KARHAIYA	Government	2	0.50
21	CHC CHHANI, MAUDAHA	Government	30	7.50
22	PHC BHAMAI MAUDAHA	Government	2	0.50
23	PHC MAHUA	Government	2	0.50
24	NPHC BIDOKHAR, SUMERPUR	Government	2	1.00
25	NPHC KALAULIJAR, SUMERPUR	Government	2	0.50
26	NPHC PACHKURA BUJURG	Government	2	0.50
27	NPHC MAHAUR	Government	2	0.50
28	NPHC PARA KURARA	Government	2	0.50
29	NPHC PUTHIA	Government	2	0.50
30	NPHC PATYORA	Government	2	0.50
31	NPHC CHANDORE SARILA	Government	2	0.50
32	NPHC PURENI SARILA	Government	2	0.50
33	NPHC BHAISAY	Government	2	0.50
34	NPHC MAMNA	Government	2	0.50
35	NPHC JAJLALAPUR	Government	2	0.50
36	NPHC PARA KANDORE	Government	2	0.50
37	NPHC KUSMARA	Government	2	0.50
38	NPHC BERI	Government	2	0.50

39	NPHC MISHRI PURI KURARA HAMIRPUR	Government	2	0.50
40	NPHC BHAULI	Government	2	0.50
41	UHC RATH, HAMIRPUR	Government	3	0.75
42	UHC LAXMI BAI PARK, HAMIRPUR	Government	3	0.75
		Total	414	104.00

26

Status of Pvt. HCF District Hamirpur complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016

कं0 सं0	जनपद	हास्पिटल का नाम व पता	बेड संख्या	जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन)	प्राधिकार की स्थिति
1	हमीरपुर	मेसर्स लक्ष्मी एक्स–रे पैथालाजी एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, अस्पताल रोड, हमीरपुर	0	0	प्राप्त
2	हमीरपुर	मेसर्स वृजरानी हास्पिटल ओवरा रोड, राठ, हमीरपुर.	25	6.25	प्राप्त
3	हमीरपुर	मेसर्स निरंकारी सेवा क्लीनिक, मराठीपुरा, मौदहा, हमीरपुर.	4	1	प्राप्त
4	हमीरपुर	मेसर्स वृजराज हास्पिटल, अम्बेदकर नगर, हमीरपुर.	20	5	प्राप्त
5	हमीरपुर	मेसर्स अनवी पैथालाजी, उमराव भवन, निकट सरदार पटेल स्कूल, लक्ष्मी बाई तिराहा, हमीरपुर.	0	0	प्राप्त
6	हमीरपुर	मेसर्स अजय पैथालाजी, मैथिली शरण मार्ग, हमीरपुर.	0	0	प्राप्त
7	हमीरपुर	डॉ नरपत सिंह मेमोरियल क्लीनिक, हमीरपुर.	0	0	प्राप्त
8	हमीरपुर	मेसर्स श्री बाला जी पैथालाजी, राठ, हमीरपुर	0	0	प्राप्त
9	हमीरपुर	मेसर्स आदित्य हास्पिटल, बुधौलियाना, लोधी रोड, राठ, हमीरपुर.	10	2.5	प्राप्त
10	हमीरपुर	मेसर्स आलोक नर्सिंग होम, निकट मेहेर मंदिर, जेल रोड, हमीरपुर.	15	3.75	प्राप्त
11	हमीरपुर	मेसर्स सेवाश्रम नर्सिंग होम, निकट यमुना ब्रिज, सागर रोड, हमीरपुर.	10	2.5	प्राप्त
12	हमीरपुर	मेसर्स आनन्द क्लीनिक, मो0 चौबट्टा, राठ, हमीरपुर.	0	0	प्राप्त
13	हमीरपुर	मेसर्स ममता आई केयर सेन्टर नेशनल रोड, रामनगर, मौदहा, हमीरपुर.	0	0	प्राप्त
14	हमीरपुर	मेसर्स ब्रह्मानन्द नर्सिंग होम, राठ, हमीरपुर	11	2.75	प्राप्त
15	हमीरपुर	मेसर्स चन्दन क्लीनिक, स्टेशन रोड, सुमेरपुर, हमीरपुर	0	0	प्राप्त
16	हमीरपुर	मेसर्स राजाराम प्रसूती मन्दिर, राठ, हमीरपुर.	2	0.5	प्राप्त
17	हमीरपुर	मेसर्स आलोक पैथेलाजी एण्ड एक्स–रे, हमीरपुर	0	0	प्राप्त
18	हमीरपुर	मेसर्स विमल नर्सिगं होम, हमीरपुर.	20	5	प्राप्त
19	हमीरपुर	मेसर्स मेहेरवान हास्पिटल, जराखर, राठ, हमीरपुर	100	25	प्राप्त
20	हमीरपुर	मेसर्स एकता पैथालाजी मौदहा हमीरपुर	0	0	प्राप्त
21	हमीरपुर	मेसर्स नेशनल पैथालाजी जिला चिकित्सालय रोड, हमीरपुर	0	0	प्राप्त
			213	53.25	

List of Pvt. HCF which BMW Authorization have been Rejected in District- Hamirpur

S.No.	Name	Address	No. of Bed	Genarate BMW	Dispatch no.	Dated
1	आलोक पैथोलाजी एण्ड एक्सरे,	हमीरपुर पो0 आफिस हमीरपुर	0	0	H38783	11-07-19
2	विमल नर्सिगं होम,	हमीरपुर पो0 आफिस हमीरपुर	0	0	H38784	11-07-19
3	डाक्टर्स पैथोलाजी,	हास्पिटल रोड, पो0 आफिस हमीरपुर	0	0	H38785	11-07-19
4	मेहरबान हास्पिटल,	पो0 आफिस हमीरपुर			H38786	11-07-19

संलग्नक-6 28

जनपद– हमीरपुर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–

जनपद– हमीरपुर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 07 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जनपद– हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राठ, जनपद– हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मौदहा, जनपद– हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा, हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, गोहाण्ड, हमीरपुर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सरीला, हमीरपुर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सुमेरपुर, हमीरपुर)

क्र0 सं0	नगर पालिका/पंचायत का नाम	बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी नोटिस की तिथि
1.	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, जनपद– हमीरपुर	01.10.2019
2.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राठ, जनपद– हमीरपुर	01.10.2019
3.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मौदहा, जनपद– हमीरपुर	01.10.2019
4.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा, हमीरपुर	01.10.2019
5.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, गोहाण्ड, हमीरपुर	01.10.2019
6.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सरीला, हमीरपुर	01.10.2019
7.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, सुमेरपुर, हमीरपुर	01.10.2019

प्रशासक..... दिनांक..... ....

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के पृष्ठ सं0 368 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने, जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा हेल्थ केयर फैसिलिटीज द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उद्योगों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को व्यय किये जाने हेतु तैयार किये गये Environment Restoration Plan का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से रिपोर्ट मा0 अधिकरण में ई–फाइल किया जाना है। प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 18.10.2019 नियत है।

3– बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय ताकि आवश्यकता से अधिक पदों का सृजन न हो। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाहीः– प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/ वित्त/कार्मिक विभाग)

(2) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत स्थित स्थानीय निकायों के द्वारा निस्तारित होने वाले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा

एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु स्थापित व्यवस्था एवं कार्ययोजना का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

(3) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज व अन्य का विवरण एवं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट की ईकाइवार मात्रा एवं उपचार/निस्तारण का पूर्ण विवरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जिनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समुचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित Environment Restoration Plan के यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन स्तर से भी अनुरोध कर लिया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(5) बैठक में नगर विकास विभाग से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, जबकि बैठक का नोटिस समय पर प्रेषित किया गया था। मा0 एन0जी0टी0 से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में नगर विकास विभाग के अधिकारी के उपस्थित न होने के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत बैठकों में सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

उपरोक्त समस्त सूचनायें एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.0719 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण हार्डकापी एवं साफ्टकापी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट ई–फाइल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T-458/81–7–2019
लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/वित्त/कार्मिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/चित्रकूट/महोबा।
3– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

सलान – 8 32

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश/निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, वैंकटहॉल्स आदि मे प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

क– जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता हैं, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना एवं उसके संचालन के उपरान्त जल नमूना की मानक के अनुसार बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि सम्मिलित होता है।आदि सम्मिलित होती है।

ख– वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती हैं।
2. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।

ग– ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम–2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट(एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।

घ– प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।

ङ–भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

च–होटल्स, वैंकटहाल्स आदि से जनित ठोस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उचित स्थल पर निस्तारण करना होता है।

छ–होटल्स, वैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

ज–होटल्स, वैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धि लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechnism Guideline_270820.pdf पर उपलब्ध है। तथा स्थापना से पूर्व अनापत्ति व संचालन से पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 0522-2720831, फैक्स 0522-2920764, 0522-2720676
ई-मेल - info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

पत्रांक : G33845/C-1/सा0 100/2020 दिनांक : 08.10.2020

वैधानिक सूचना

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल/ रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–400 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं दिनांक 23.07.2020 के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा होटल / रेस्टोरेन्ट्स / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं / अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है :

a) Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management etc. as enumerated in the guidelines.
b) Individual to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
   - Consent to Establish under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
   - Consent to Operate under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
   - Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
   - Permission for Ground water Extraction from concerned Authorities, if required.
   - Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
   - Fire safety Certificate/NOC from Concerned Authorities.
c) Local Authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.
d) The state Board to have robust monitoring mechanisms to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechanism_Guidelines_270820.pdf पर उपलब्ध है। मा0 अधिकरण के निर्देशानुसार समस्त संबंधित रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / वैंकटहाल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

R-G-33847

34

सलंग्नक-10

6 दैनिक जागरण कानपुर, 22 नवंबर, 2020

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक जागरण - 29-11-20

दूरभाष- 05192 220048
ई-मेल:- robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं. 2, चिल्ला रोड, बांदा (उ.प्र.) पिन- 210001

माननीय एन.जी.टी. में दायर ओ.ए. सं.- 102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल्स एवं बैंकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के निस्तारण हेतु (सी.डब्लू.टी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लूटी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है। इसी प्रकार से सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. **जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. **वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए.पी.सी.एस. संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी.जी. सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. **प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख- उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत (सी.डब्लूटी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लू.टी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग- उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा

35

आज, कानपुर, 22 नवम्बर 2020

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

34 ए विकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग , इन्दिरा नगर गेट नं02

बिल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन - 210001

माननीय एन.जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 –102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0 टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद – बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैंकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के निस्तारण हेतु (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगर पालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसकें अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, वैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू– प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू– प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय –
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. पलास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसे बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होल्टलस वैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख– उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व झांसी तथा सी0डब्लूटी0एफ0 संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग– उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बनध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

घनश्याम
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड
बाँदा।

२०९५/स्प०अ०बो०/ओ०ए०सं०-102/19/20 दिनांक 24/11/020

Annexure - 3

ई–मेल द्वारा

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 20.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में मांगी गई अनुपालन आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

/

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
2. सुश्री उर्वशी शर्मा, एस0आर0एफ0, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी महोदय, जनपद– बॉदा।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

24/11/20

क्षेत्रीय अधिकारी

विषयः— **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

उपरोक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) द्वारा दिनांक 24.01.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके प्रमुख अंश निम्न है–

"The UPPCB may inter-alia examine the issues of disposal of municipal solid waste, plastic waste, sewage, bio&medical waste, norms, noise pollution and extraction of groundwater."

उपरोक्तानुसार माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2019 को निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था।(संलग्नक–1) जिसके अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में शपथपत्र दाखिल किया गया है।(छायाप्रति संलग्न–2)

1. **जनपद– बॉदा में स्थापित वैंकेट हाल– 42**
   (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 63,68,750.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर बोर्ड मुख्यालय स्तर से नोटिस प्रेषित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न–3)
2. जनपद– बॉदा में स्थापित वैंकेट हाल– 42 (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 63,68,750.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु जिलाधिकारी महोदय, बॉदा के निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, बॉदा व मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को पृष्ठांकित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न–4)
3. **जनपद बॉदा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में–**
   क. सरकारी अस्पताल–55 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त)
   ख. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज –58 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त–48, प्राधिकार आवेदन पत्र निरस्त एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित–10) (छायाप्रति संलग्न–5)
4. **जनपद– बॉदा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–**
   जनपद– बॉदा में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 08 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अतर्रा, जनपद–बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मटौंध, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तिन्दवारी, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, नरैनी, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बिसण्डा, बॉदा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बबेरू, बॉदा) (छायाप्रति संलग्न–6)
5. माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त का विवरण। (संलग्नक–7)
6. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व

P.T.O.

प्लास्टिक नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समरत सुझाव व जानकारी दी गई है।(छायाप्रति संलग्न–8)

7. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– जी33845/सी0–1/सामान्य–100/2020 दिनांक 08.10.2020 को वैधानिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी।(छायाप्रति संलग्न–9)
8. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व आज में विज्ञप्ति दिनांक 22.11.2020 को प्रकाशित करायी गई है। संलग्न–10
9. जनपद– बॉदा से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु उ0प्र0 जल निगम, बॉदा के द्वारा 4.0 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणरत है, जोकि वर्तमान में कार्यरत नही है।

उपरोक्तानुसार माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

24/11/20

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा

सा0/17/1 —

Annexure 39

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक : F 35994/NGT Cell-37/2019 दिनांक : 16/5/19

कार्यालय आदेश ई-मेल

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

Issue for consideration is the punitive action against illegal operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016.......

.... 3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit Illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु जनपदवार निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है –

क्रम सं0	जनपद	समिति
1	हमीरपुर	श्री कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात श्री इमरान अली, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात
2	चित्रकूट	श्री वी0के0 मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा श्री राजकरन, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा
3	महोबा	श्री वी0के0 दुबे, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामदास, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी
4	बांदा	श्री जितेन्द्र लाल, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामनरेश, अनुश्रवण सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा

PTO

Scanned by CamScanner

3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

May 10, 2019
Original Application No. 102/2019
DV

Scanned by CamScanner

संलग्नक-3 41

S.No.	Name & Address of Industry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	Total amount of Environment Compensation in Rupess
1	M/s Vishal Mega Mart, Chilla Road Sarvodya Nagar, Banda	5,000.00	20	100000.00
2	M/s V-Mart, Chavni Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
3	M/s One India Family Mart, Swaraj Colony, Banda	5,000.00	20	100000.00
4	M/s Divine Marriage Hall, Chilla Road, Indira Nagar, Banda	5,000.00	20	100000.00
5	M/s Shahnai Palace, Chilla Road, Awas Vikas, Banda	5,000.00	20	100000.00
6	M/s Anand Kunj Lodge & Marriage Hall, Civil Line, Banda	5,000.00	20	100000.00
7	M/s Rama Vatika, Bangalipura, Banda	5,000 00	20	100000.00
8	M/s City Garden, Kalu Kuan, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
9	M/s Parvati Kunj, Civil Line, Banda	5,000.00	20	100000.00
10	M/s Neelima Vihar Marriage Pandal, Kalu Kuan, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
11	M/s Krishna Kunj Marriage Hall, Kalu Kuan, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
12	M/s Bandhan Marriage Hall, Gyatri Nagar, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
13	M/s Puniya Marriage Hall, Gyatri Nagar, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
14	M/s Girrija Marriage Hall, Gyatri Nagar, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
15	M/s Jai Maa Shardha Palace, Gyatri Nagar, Baberu Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
16	M/s Milan Ghar, Mayur Takies, Chavni, Banda	5,000.00	20	100000.00
17	M/s Shanti Kunj Marriage, New Market Gali, Banda	5,000.00	20	100000.00
18	M/s Nizami Palace, Khaipaar, Banda	5,000.00	52	260000.00
19	M/s Taj Garden, Khaipaar, Banda	5,000.00	20	100000.00
20	M/s Chaudhary Dham, Balkhadi, Naka Road, Chabi Talab, Banda	5,000.00	20	100000.00
21	M/s Manglam Marriage Hall, Kiran College Chauraha, Banda	5,000.00	20	100000.00
22	M/s Viraj Palace, Kailashpuri, Choti Bazaar, Banda	5,000.00	20	100000.00
23	M/s Sharma Marriage Hall, Kailashpuri, Choti Bazaar, Banda	5,000.00	20	100000.00
24	M/s Goodluck Lodge, Station Road, Banda	5,000.00	52	260000.00
25	M/s Basera Lodge, Station Road, Banda	5,000.00	52	260000.00
26	M/s Modi Lodge, Station Road, Banda	5,000.00	20	100000.00
27	M/s Kumar Lodge, Station Road, Banda	5,000.00	52	260000.00
28	M/s Rajgrah, Station Road, Banda	5,000.00	52	260000.00
29	M/s Akash Guest House, Mathound, Banda	5,000.00	20	100000.00
30	M/s Prem Marriage Hall, Mathound,	5,000.00	20	100000.00

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बांदा

	Banda			
31	M/s Vamdev Vishram Grah, Station Road, Banda	6,250.00	42	262500.00
32	M/s Hotel Atithi, Station Road, Banda	6,250.00	42	262500.00
33	M/s Hotel Sudha Saurabha, Maheshwari Devi Road, Banda	6,250.00	42	262500.00
34	M/s Hotel Shraddha, Chavni, Banda	6,250.00	11	68750.00
35	M/s Hotel Comfort inn, Station Road, Banda	6,250.00	42	262500.00
36	M/s Hotel Sarang, Padmakar Chauraha, Banda	6,250.00	42	262500.00
37	M/s Bharat Imperial, Chavni Chauraha, Banda	6,250.00	11	68750.00
38	M/s Hotel Tulsi Swarop, Chavni Chauraha, Banda	6,250.00	42	262500.00
39	M/s Hotel Tulsi, Peeli Kothi, Banda	6,250.00	11	68750.00
40	M/s Gurudev Palace, Civil Line, Banda	6,250.00	42	262500.00
41	M/s S.S. Residency, Civil Line, Near Bus Stand, Banda	6,250.00	42	262500.00
42	M/s Hotel Shree Kanth Basu Restorent, Swaraj Colony, Gali No-1, Civil Line, Banda	6,250.00	42	262500.00
Total				6368750.00

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बाँदा

EC For Hotels in Banda

संलग्नक - 4 43

S. N.	Name and Address of Insustry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	ToTal Amount of Environment Compensation in Rupess	Regional Office Letter No.
1.	M/s Vishal Mega Mart Chilla Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(22) 20.11.2020
2.	M/s V-Mart Chavni Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(25) 20.11.2020
3.	M/s One India Family Mart Swaraj Collony Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(28) 20.11.2020
4.	M/s Divine Marriage Hall Chilla Road Indira Nagar Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(27) 20.11.2020
5.	M/s Shahnai Palace Chilla Road Avas Vikash Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(26) 20.11.2020
6.	M/s Anand Kunj Lodge & Marrage Hall Civil Line Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(29) 20.11.2020
7.	M/s Rama Vatika Bangalipura Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(30) 20.11.2020
8.	M/s City Garden Kalukuwan Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(31) 20.11.2020
9.	M/s Parvati Kunj Civil Line Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(32) 20.11.2020
10.	M/s Neelima Vihar Marriage Pandal Kalu Kuwan Baberu Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(33) 20.11.2020
11.	M/s Krishna Kunj Marriage Hall Kalu Kuwan Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(34) 20.11.2020
12.	M/s Bandhan Marrige Hall Gayatri Nagar Baberu Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(35) 20.11.2020
13.	M/s Puniya Marrige Hall Gayatri Nagar Baberu Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(36) 20.11.2020
14.	M/s Girija Marrige Hall Gayatri Nagar Baberu Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(37) 20.11.2020
15.	M/s Jai Ma Sharda Palace Gayatri Nagar Baberu Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(38) 20.11.2020
16.	M/s Milan Ghar Mayur Takij Chavani Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(39) 20.11.2020
17.	M/s Shanti Kunj Marriage New Market Gali Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(40) 20.11.2020
18.	M/s Nizami Palace Khaipar Banda	5,000.00	52	2,60,000.00	2070(41) 20.11.2020
19.	M/s Taj Garden Khaipar Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(1) 20.11.2020
20.	M/s Chaudhary Dham Balkhandinaka Road Chabi Talab Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(12) 20.11.2020
21.	M/s Mangalam Marrige Hall Kiran College Chauraha Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(11) 20.11.2020
22.	M/s Viraj Palace Kailashpuri Choti Bazar Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(10) 20.11.2020
23.	M/s Sharma Marriage Hall Kailashpuri Choti Bazar Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(9) 20.11.2020

24.	M/s Goodluck Lodge Station Road Banda	5,000.00	52	2,60,000.00	2070(8) 20.11.2020
25.	M/s Basera Lodge Station Road Banda	5,000.00	52	2,60,000.00	2070(7) 20.11.2020
26.	M/s Modi Lodge Station Road Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(6) 20.11.2020
27.	M/s Kumar Lodge Station Road Banda	5,000.00	52	2,60,000.00	2070(5) 20.11.2020
28.	M/s Rajgrah Station Road Banda	5,000.00	52	2,60,000.00	2070(4) 20.11.2020
29.	M/s Akash Gest House Mathoundh Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(3) 20.11.2020
30.	M/s Prem Marrige Hall Mathaundh Banda	5,000.00	20	1,00,000.00	2070(2) 20.11.2020
31.	M/s Vamdev Vishram Grah Station Road Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(21) 20.11.2020
32.	M/s Hotet Atithi Station Road Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(20) 20.11.2020
33.	M/s Hotel Sudha Saurabhk Maheshuari Devi Road Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(19) 20.11.2020
34.	M/s Hotel Shradha Chavni Banda	6,250.00	11	68,750.00	2070(18) 20.11.2020
35.	M/s Hotel Comfort In Station Road Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(17) 20.11.2020
36.	M/s Hotel Sarang Padmakar Chauraha Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(16) 20.11.2020
37.	M/s Bharat Imperial Chavni Chauraha Banda	6,250.00	11	68,750.00	2070(15) 20.11.2020
38.	M/s Hotel Tulsi Suaroop Chavni Chauraha Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(14) 20.11.2020
39.	M/s Hotel Tulsi Peeli Kothi Banda	6,250.00	11	68,750.00	2070(13) 20.11.2020
40.	M/s Gurudev Palece Civil Line Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(24) 20.11.2020
41.	M/s S.S. Resedency Civil Line Near Bus Stand Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(42) 20.11.2020
42.	M/s Hotel Shree Kanth Basu Restrorent Swaraj Collony Gali No. 1 Civil Line Banda	6,250.00	42	2,62,500.00	2070(23) 20.11.2020

Status of Govt. HCF District Banda complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016

(No.-1)

Sl. NO.	Name & Add. of HCFs	Private/ Government	No. Of Beds	Quantity of Waste (kg/day)	Authorization Status Granted/Ref
1	2	3	4	5	6
1	M/s Gov.medical collage,naraini road banda	Government	200	50.00	Granted
2	M/s Dist Hospital (male) banda	Government	103	25.75	Granted
3	M/s Dist Hospital (female) banda	Government	68	17.00	Granted
4	M/s Railway hospital Banda	Government	0	0.00	Granted
5	M/s CHC, Naraini Banda	Government	30	7.50	Granted
6	M/s CHC, Atarra Banda	Government	30	7.50	Granted
7	M/s CHC, Baberu Banda	Government	30	7.50	Granted
8	M/s CHC,Jaspura Banda	Government	30	7.50	Granted
9	M/s CHC, badokhar khurd Banda	Government	30	7.50	Granted
10	M/s CHC, Baheri, Banda	Government	30	7.50	Granted
11	M/s CHC,Kamasin Banda	Government	30	7.50	Granted
12	M/s CHC,Tindwari Banda	Government	30	7.50	Granted
13	M/s PHC,Bisand .Banda	Government	4	1.00	Granted
14	M/s PHC Mahua Banda	Government	4	1.00	Granted
15	M/s PHC Kamasin Banda	Government	4	1.00	Granted
16	M/s PHC ,Mathaundh, Banda	Government	4	1.00	Granted
17	PHC JORAHI, MATAUNDH	Government	4	1.00	Granted
18	PHC DEVRAAR	Government	4	1.00	Granted
19	PHC KHURHAND	Government	4	1.00	Granted
20	PHC TINDWARI	Government	4	1.00	Granted
21	PHC BADOKHAR BUIZURG	Government	4	1.00	Granted
22	NPHC Simauni, Banda	Government	4	1.00	Granted
23	NPHC AHAAR Banda	Government	4	1.00	Granted
24	NPHC RYAAN BABERU	Government	4	1.00	Granted
25	NPHC MANJHIWA, BABERU, Banda	Government	4	1.00	Granted
26	NPHC BHABHUA	Government	2	0.50	Granted
27	NPHC SHIV BABERU BANDA	Government	2	0.50	Granted
28	NPHC BERRAW KAMASIN BANDA	Government	2	0.50	Granted
29	NPHC NANDWARA BANDA	Government	2	0.50	Granted
30	NPHC VEERA KAMASIN	Government	2	0.50	Granted

31	NPHC INGUWA BANDA	Government	2	0.50	
32	NPHC JAAMU	Government	2	0.50	Granted
33	NPHC LOHRA	Government	2	0.50	Granted
34	NPHC GADARIYA, BANDA	Government	2	0.50	Granted
35	PHC CHANDWARA JASPURA	Government	2	0.50	Granted
36	NPHC SINDHAN KALA JASPURA	Government	2	0.50	Granted
37	NPHC NAAI BANDA	Government	2	0.50	Granted
38	NPHC MADANPUR TINDWARI BANDA	Government	2	0.50	Granted
39	NPHC PAILANI BANDA	Government	2	0.50	Granted
40	NPHC LUKTARA JAURAHI BANDA	Government	2	0.50	Granted
41	NPHC LAMA JAURAHI BANDA	Government	2	0.50	Granted
42	NPHC ACHHROND JAURAHI BANDA	Government	2	0.50	Granted
43	NPHC HATHORA JAURAHI BANDA	Government	2	0.50	Granted
44	NPHC GYORAMUGLI JAURAHI BANDA	Government	2	0.50	Granted
45	NPHC MATAUNDH BANDA	Government	2	0.50	Granted
46	NPHC KORRAHI BISANDA BANDA	Government	2	0.50	Granted
47	NPHC KAIRI	Government	2	0.50	Granted
48	NPHC SATHEE BISANDA BANDA	Government	2	0.50	Granted
49	NPHC KUSMA BANDA	Government	2	0.50	Granted
50	NPHC BISANDI, BISANDA, BANDA	Government	2	0.50	Granted
51	NPHC PARSUANDA, TINDWARI	Government	2	0.50	Granted
52	NPHC DABHANI BISANDA	Government	2	0.50	Granted
53	NPHC BADOKHAR KHURD	Government	2	0.50	Granted
54	UHC AZAD NAGAR BANDA	Government	2	0.50	Granted
55	UHC CHHABI TALAB, BANDA	Government	0	0.00	Granted

atus of Pvt. HCF District Banda complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016

सं0	हास्पिटल का नाम व पता	बेड संख्या	जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन)	प्राधिकार की स्थिति
1	मेसर्स गौतम डेण्टल क्लीनिक, इन्दिरा नगर, बांदा	0	0	प्राप्त
2	मेसर्स हाण्डा हाईटेक डायग्नोस्टिक सेन्टर, इन्दिरा नगर, बांदा	0	0	प्राप्त
3	मेसर्स अशोक कुमार भरद्वाज, आवास विकास कालोनी, बांदा	0	0	प्राप्त
4	मेसर्स सेवाधाम हास्पिटल, आवास विकास कालोनी, बांदा	0	0	प्राप्त
5	मेसर्स बजरंगा डायग्नोस्टिक सेन्टर, सिविल लाइन, बांदा	0	0	प्राप्त
6	मेसर्स चन्द्र नाथ तिवारी, बी–109, आवास विकास कालोनी, बांदा.	0	0	प्राप्त
7	मेसर्स देव पैथोलाजी, छोटी बाजार, बांदा.	0	0	प्राप्त
8	मेसर्स विक्रम चाइल्ड केयर सेन्टर, कालू कुआं, बांदा	20	5	प्राप्त
9	मेसर्स विष्णु पैथालॉजी, रोड नरैनी बांदा	0	0	प्राप्त
10	मेसर्स बुन्देलखण्ड, डायग्नोस्टिक सेन्टर, बांदा	0	0	प्राप्त
11	मेसर्स श्रीवास्तव नर्सिंग होम, सिविल लाइन, रोडवेज बस स्टेशन, बांदा	10	2.5	प्राप्त
12	मेसर्स अक्षत मैटरनिटी होम, कटरा, बांदा.	10	2.5	प्राप्त
13	मेसर्स सुनीता पॉली क्लीनिक, तिंदवारी, बांदा.	0	0	प्राप्त
14	मेसर्स साई डेंटल क्लीनिक, स्वराज कालोनी, बांदा.	0	0	प्राप्त
15	मेसर्स कमला क्लीनिक एण्ड मैटरनिटी होम, बांदा रोड, अतर्रा, बादा.	10	2.5	प्राप्त
16	मेसर्स के0डी0 हाई–टेक डायग्नोस्टिक सेन्टर, बांदा रोड अतर्रा, बांदा	0	0	प्राप्त
17	मेसर्स न्यू सिंह पैथोलाजी, औंगासी रोड, बबेरू, बांदा	0	0	प्राप्त
18	मेसर्स प्रियम नर्सिंग होम, औंगासी रोड, बबेरू, बांदा	7	1.75	प्राप्त
19	मेसर्स गोमती मेडिकल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, आवास विकास कालोनी, बांदा	0	0	प्राप्त
20	मेसर्स अमन पैथोलाजी, पपरेन्दा तिराहा तिंदवारी, बांदा.	0	0	प्राप्त
21	मेसर्स रश्मि पैथोलाजी, सिविल लाइन चिल्ला रोड, बांदा.	0	0	प्राप्त
22	मेसर्स अर्चना पैथोलाजी, बांदा रोड अतर्रा, बांदा	0	0	प्राप्त
23	मेसर्स कृष्णा क्लीनिक, गायत्री नगर, बबेरू रोड, बांदा.	0	0	प्राप्त
24	मेसर्स ज्योति क्लीनिक अतर्रा रोड, नरैनी , बांदा	0	0	प्राप्त
25	मेसर्स न्यू नीलम पैथोलाजी, सिविल लाइन, चिल्ला रोड, बांदा	0	0	प्राप्त
26	मेसर्स हरी सर्जिकल होम, कटरा, बांदा	6	1.5	प्राप्त

27	मेसर्स प्रकाश क्लीनिक ए–6 एच0आई0जी0 इन्दिरा नगर, बांदा	6	1.5	प्राप्त
28	मेसर्स भार्गव नर्सिंग होम, कटरा, बांदा	20	5	प्राप्त
29	मेसर्स प्रभा सक्सेना नर्सिंग होम, कटरा, बांदा	10	2.5	प्राप्त
30	मेसर्स शास्वत मेडिकल सेन्टर प्रा0 लि0 सिविल लाइन, बांदा	15	3.75	प्राप्त
31	मेसर्स रजावत दन्त चिकित्सालय, कालू कुआ, बांदा	0	0	प्राप्त
32	मेसर्स प्रदीप पैथोलाजी, औंगासी रोड, बबेरू, बांदा	0	0	प्राप्त
33	मेसर्स आभा नर्सिंग होम, औंगासी रोड, बबेरू, बांदा	0	0	प्राप्त
34	मेसर्स चित्रा डेण्टल क्लीनिक, डी0 एम0 कालोनी, बांदा	15	3.75	प्राप्त
35	मेसर्स इन्द्रा पैथोलाजी जिला अस्पताल गेट नं0–2, सिविल लाइन, बांदा	0	0	प्राप्त
36	मेसर्स भारत पैथोलाजी, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा	0	0	प्राप्त
37	मेसर्स एकता नर्सिंग होम, सुन्दर कुंआ, बबेरू, बांदा	5	1.25	प्राप्त
38	मेसर्स कानपुर पैथोलाजी एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबेरू रोड, बांदा	0	0	प्राप्त
39	मेसर्स डॉ0 सरोज शर्मा नर्सिंग होम, स्वराज कालोनी, बांदा	20	5	प्राप्त
40	मेसर्स नेशनल पैथालाजी, चिल्ला चुंगी चौराहा, सिविल लाइन, बांदा	0	0	प्राप्त
41	मेसर्स रफीक नर्सिंग होम, अलीगंज, बांदा	25	6.25	प्राप्त
42	मेसर्स आशा डायग्नोस्टिक सेन्टर, बांदा	0	0	प्राप्त
43	मेसर्स मोक्षदा नर्सिंग होम, आवास विकास कालोनी, बांदा	5	1.25	प्राप्त
44	मेसर्स निरंजन अल्ट्रासाउण्ड एण्ड पैथोलाजी सेन्टर, बांदा	0	0	प्राप्त
45	मेसर्स अवनी परिधी हेल्थ केयर सेन्टर, आवास विकास कालोनी, बांदा	25	6.25	प्राप्त
46	मेसर्स अनुराग नर्सिंग होम धीरज नगर, कालू कुआं, बांदा	18	4.5	प्राप्त
47	मेसर्स संदीप मेडिकल क्लीनिक, नरैनी, बांदा	0	0	प्राप्त
48	मेसर्स श्रद्धा पैथालॉजी एण्ड एक्स–रे, मेडिकल कालेज के सामने, बांदा	0	0	प्राप्त

227 56.75kg/d

List of Pvt. HCF which BMW Authorization have been Rejected in District- Banda

S.No.	Name	Address	District	No. of Bed	Genarate BMW	Dispatch no.	Dated
1	राहुल डेण्टल क्लीनिक,	चुंगी चौकी, अलीगंज, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38773	11-07-19
2	अग्रवाल डेण्टल क्लीनिक,	बांदा रोड, बबेरू, पो0 आफिस बबेरू	बांदा	0	0	H38774	11-07-19
3	बांदा हेल्थ क्लीनिक एण्ड इम्पलाण्ट,	मुहल्ला कालू कुआ, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38775	11-07-19
4	आनन्द हास्पिटल	मुहल्ला छावनी चौराहा, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38776	11-07-19
5	सत्यम क्लीनिक	मुहल्ला राज नगर, बांदा रोड, नरैनी, पो0 आफिस नरैनी	बांदा	0	0	H38777	11-07-19
6	रमा पैथोलाजी,	जिला परिषद, अलीगंज, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38778	11-07-19
7	अर्पित पैथोलाजी,	मेडिकल कालेज के पास, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38779	11.07.2019 प्राधिकार प्राप्त दिनांक 25.09.19
8	राज क्लीनिक,	मुहल्ला छावनी, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38780	11-07-19
9	रामा अस्पताल,	ग्राम ओरन, पो0 आफिस ओरन	बांदा	0	0	H38781	11-07-19
10	डेण्टल केयर एण्ड इम्पलाण्ट सेन्टर,	बाबूलाल चौराहा, पो0 आफिस बांदा	बांदा	0	0	H38782	11-07-19

स्पष्ट/अति 6 50

जनपद– बॉदा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–

जनपद– बॉदा में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 08 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अतर्रा, जनपद–बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मटौंध, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तिन्दवारी, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, नरैनी, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन, बॉदा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बिसण्डा, बॉदा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बबेरू, बॉदा)

क्र0 सं0	नगर पालिका/पंचायत का नाम	बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी नोटिस की तिथि
1.	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बॉदा, जनपद–बॉदा	01.10.2019
2.	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अतर्रा, जनपद–बॉदा	01.10.2019
3.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मटौंध, जनपद–बॉदा	01.10.2019
4.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, तिन्दवारी, जनपद–बॉदा	01.10.2019
5.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, नरैनी, जनपद–बॉदा	01.10.2019
6.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, ओरन, जनपद–बॉदा	01.10.2019
7.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बिसण्डा, जनपद–बॉदा	01.10.2019
8.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, बबेरू, जनपद–बॉदा	01.10.2019

पत्रांक...... दिनांक......

57

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के पृष्ठ सं0 368 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने, जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा हेल्थ केयर फैसिलिटीज द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उद्योगों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को व्यय किये जाने हेतु तैयार किये गये Environment Restoration Plan का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से रिपोर्ट मा0 अधिकरण में ई–फाइल किया जाना है। प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 18.10.2019 नियत है।

3– बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय ताकि आवश्यकता से अधिक पदों का सृजन न हो। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही:– प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/ वित्त/कार्मिक विभाग)

(2) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत स्थित स्थानीय निकायों के द्वारा निस्तारित होने वाले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा

एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु स्थापित व्यवस्था एवं कार्ययोजना का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

(3) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाली हेल्थ क्रेयर फैसिलिटीज व अन्य का विवरण एवं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट की ईकाइवार मात्रा एवं उपचार/निस्तारण का पूर्ण विवरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जिनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समुचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित Environment Restoration Plan के यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन स्तर से भी अनुरोध कर लिया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(5) बैठक में नगर विकास विभाग से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, जबकि बैठक का नोटिस समय पर प्रेषित किया गया था। मा0 एन0जी0टी0 से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में नगर विकास विभाग के अधिकारी के उपस्थित न होने के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत बैठकों में सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

उपरोक्त समस्त सूचनायें एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.0719 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण हार्डकापी एवं साफ्टकापी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट ई–फाइल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.-7-458/81–7–2019
लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/वित्त/कार्मिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/चित्रकूट/महोबा।
3– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

मानननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश/निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि मे प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

क– जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद जल प्रदूषण (निवारण एव नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना एव उसके संचालन के उपरान्त जल नमूना की मानक के अनुसार बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि सम्मिलित होता है।आदि सम्मिलित होती है।

ख– वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती हैं।
2. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।

ग– ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम–2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट(एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।

घ– प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।

ङ–भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

च–होटल्स, बैंकटहाल्स आदि से जनित ठोस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उचित स्थल पर निस्तारण करना होता है।

छ–होटल्स, बैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

ज–होटल्स, बैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धि लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechnism Guideline_270820.pdf पर उपलब्ध है। तथा स्थापना से पूर्व अनापत्ति व संचालन से पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 0522-2720831, फैक्स 0522-2920764, 0522-2720676
ई-मेल - info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

पत्रांक : G33845/C-1/सा0 100/2020 दिनांक : 08.10.2020

वैधानिक सूचना

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल/ रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—400 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं दिनांक 23.07. 2020 के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा होटल / रेस्टोरेन्ट्स / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं / अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है :

a) Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management etc. as enumerated in the guidelines.
b) Individual to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
   - Consent to Establish under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
   - Consent to Operate under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
   - Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
   - Permission for Ground water Extraction from concerned Authorities, if required.
   - Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
   - Fire safety Certificate/NOC from Concerned Authorities.
c) Local Authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.
d) The state Board to have robust monitoring mechanisms to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechanism_Guidelines_270820.pdf पर उपलब्ध है। मा0 अधिकरण के निर्देशानुसार समस्त संबंधित रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

R-G-33847

56
सलग्नक-10

दैनिक जागरण - 29-11-20

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष- 05192 220043
ई-मेल:- robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं. 2, चिल्ला रोड, बांदा (उ.प्र.) पिन- 210001

माननीय एन.जी.टी. में दायर ओ.ए. सं.- 102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद-बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैंकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के निस्तारण हेतु (सी.डब्लू.टी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लू.टी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है। इसी प्रकार से सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. **जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम** एवं उपाय-
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. **वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए.पी.सी.एस. संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी.जी. सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. **प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख- उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत (सी.डब्लू.टी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लू.टी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग- उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा

57

आज, कानपुर, 22 नवम्बर 2020

सायक लाहिया ने 50 रन जोड़े, ता ना. सारिम ने 3 को आउट किया।

आज 22-11-20

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

34 ए निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग , इन्दिरा नगर गेट नं02 बिल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन - 210001

माननीय एन.जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 –102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0 टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनाक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद – बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के निस्तारण हेतु (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगर पालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, वैकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–

   होटल्स, वैंकटहल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू– प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।

2. वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–

   होटल्स, वैंकटहल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू– प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।

3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय –

   होटल्स, वैंकटहल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।

4. पलास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–

   होटल्स, वैंकटहल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।

5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसे बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

6. होल्टलस वैंकटहल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

7. होटल्स, वैंकटहल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख– उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व झांसी तथा सी0डब्लूटी0एफ0 संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग– उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बनध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

घनश्याम
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड
बाँदा।

2093/एन0जी0टी0/ओ0ए0सं0-102/19/20 दिनांक-24/11/020

Annexure-4

ई-मेल द्वारा

58

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः- **मा‍ननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 20.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में मांगी गई अनुपालन आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

/

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
2. सुश्री उर्वशी शर्मा, एस0आर0एफ0, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी महोदय, जनपद- महोबा।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

24/11/20

क्षेत्रीय अधिकारी

c:\users\hp\desktop\letter1.docx

विषयः– **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

उपरोक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) द्वारा दिनांक 24.01.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके प्रमुख अंश निम्न है–

"The UPPCB may inter-alia examine the issues of disposal of municipal solid waste, plastic waste, sewage, bio&medical waste, norms, noise pollution and extraction of groundwater."

उपरोक्तानुसार माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2019 को निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था।(संलग्नक–1) जिसके अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में शपथपत्र दाखिल किया गया है।(छायाप्रति संलग्न–2)

1. **जनपद– महोबा में स्थापित वैंकेट हाल– 25**
   (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 33,75,000.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर बोर्ड मुख्यालय स्तर से नोटिस प्रेषित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न–3)
2. जनपद– महोबा में स्थापित वैंकेट हाल– 25 (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0– 33,75,000.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को भुगतान हेतु नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, महोबा व मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को पृष्ठांकित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न–4)
3. **जनपद महोबा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में–**
   क. सरकारी अस्पताल–21 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त)
   ख. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज –78 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त–9, प्राधिकार निरस्त तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित–59, एवं प्राधिकार आवेदन पत्र निरस्त –10) (छायाप्रति संलग्न–5)
4. **जनपद– महोबा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–**
   जनपद– महोबा में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 05 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, महोबा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चरखारी, जनपद–महोबा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कबरई, महोबा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला, महोबा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुलपहाड़, महोबा) (छायाप्रति संलग्न–6)
5. माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त का विवरण। (संलग्नक–7)
6. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व

P.T.O.

प्लास्टिक नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी दी गई है।(छायाप्रति संलग्न–8)

7. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– जी33845/सी0–1/सामान्य–100/2020 दिनांक 08.10.2020 को वैधानिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी।(छायाप्रति संलग्न–9)
8. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व आज में विज्ञप्ति दिनांक 22.11.2020 को प्रकाशित करायी गई है। संलग्न–10

उपरोक्तानुसार माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

24/11/20

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा

Annexure-R

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक : F 35994/NGTCell-37/2019 दिनांक : 16/5/19

कार्यालय आदेश ई-मेल

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

Issue for consideration is the punitive action against illegal operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016.......

.... 3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु जनपदवार निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है –

क्रम सं0	जनपद	समिति
1	हमीरपुर	श्री कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात श्री इमरान अली, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात
2	चित्रकूट	श्री वी0के0 मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा श्री राजकरन, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा
3	महोबा	श्री वी0के0 दुबे, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामदास, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी
4	बांदा	श्री जितेन्द्र लाल, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामनरेश, अनुश्रवण सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा

PTO

Scanned by CamScanner

62

3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

May 10, 2019
Original Application No. 102/2019
DV

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2019

IN THE MATTER OF:
ASHISH KUMAR DIXIT **.....APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **.....RESPONDENTS**

COMPLIANCE REPORT PURSUANT TO THE ORDER DATED 10.05.2019 ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

1. In the above noted matter this Hon'ble Tribunal has passed a detailed order on 10.05.2019 and directed the U.P. Pollution Control Board to submit the compliance report. Pursuant to the said order the compliance report is being submitted. A copy of the order dated 10.05.2019 is being enclosed herewith and marked as Annexure-1.

2. In compliance of the said order vide office order dated 16.05.2019 U.P. Pollution Control Board has constituted four committees for compliance of the order of this Hon'ble Tribunal. The copy of office order dated 16.05.2019 is enclosed herewith and marked as Annexure-2.

3. The said committees have made extensive survey of each of the district Mahoba, Chitrakoot, Hamirpur and Banda and submitted the reports. On the basis of the said report the compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal are as follows:

Scanned by CamScanner

(a) 101 banquet halls, hotels and marriage homes have been found operating in these districts. Districtwise details of these hotel, banquet halls and marriage homes are as follows:

Banda	42
Chitrakoot	23
Hamirpur	11
Mahoba	25
Total	101

Since the above units have not taken any consent from the U.P. Pollution Control Board, hence environmental compensation of Rs. 1,31,87,500/- has been imposed on those units. It is further pointed out that out of these 101 units, 59 units are in green category and 42 units are in orange category. **Show cause notices under section 33-A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended have been issued to these units by the State Board.**

Marriage Hall
1
2
3
4
5
6
7

(b) The details of health care facilities in government sector and private sector alongwith the position regarding authorization under Bio Medical Waste Management Rules, 2016 in these districts are as follows:

Districts	Govt. HCFs		Private HCFs			
	Total Nos.	Authorization granted	Total Nos.	Authorization granted	Authorization rejected	Authorization applied/pending
Banda	55	55	58	48	10	0
Chitrakoot	36	36	26	22	4	0
Mahoba	21	21	78	9	59	10
Hamirpur	42	42	25	21	4	0
Total	154	154	187	100	77	10

Show cause notice against defaulting 77 HCFs have been issued under the provisions of section-5 of Environment (Protection) Act 1986.

Scanned by CamScanner

(c) The details of the local bodies in these districts are as follows:

Districts	No. of Urban local bodies	Position of MSW treatment facility	Details of action taken
Banda	8	Not established	Show Cause Notice
Hamirpur	7	Not established	Show Cause Notice
Mahoba	5	Not established	Show Cause Notice
Chitrakoot	3	Not established	Show Cause Notice

Show cause notices to these 23 defaulting urban local bodies to start prosecution and to impose environment compensation have been issued under the provisions of Environment (Protection) Act 1986.

Thus, the factual and action taken report is being submitted to this Hon'ble Tribunal.

(ASHISH TIWARI)
Member Secretary,
U.P. Pollution Control Board

CamScanner

7
a
is

In District Chirakoot there are 36 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. **The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3b.**

In District Hamirpur there are 42 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. **The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3c.**

In District Mahoba there are 21 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. **The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3d.**

In District Banda there are 57 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 42 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 15 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4a

In District Chitrakoot there are 19 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 11 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 08 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4b

In District Hamirpur there are 20 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 19 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 01 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4c

In District Mahoba there are 39 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 03 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 36 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4d."

Scanned by CamScanner

Mahoba.

EC for Hotels in Banda, Mahoba, Chitrakoot and Hamirpur

67

S.No.	Name & Address of Industry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	Total amount of Environment Compensation in Rupess
1.	M/s Krishna Amrit Kalyan Mandapam, Bajrang Nagar Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
2.	M/s Mukul Vivah Ghar, Chhajamanpura Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
3.	M/s Lalata Bhavan, Bajarang Nagar Charkhari Baipas Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
4.	M/s Laxmi Guest House Bajarang Nagar Charkhari Baipas Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
5.	M/s Tulsi Guest House, Subhas Nagar Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
6.	M/s Ambey Guest House, Bajarang Nagar Parmanand Tiraha Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
7.	M/s Mandakini Palace, Samadnagar Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
8.	M/s Shyam Palace, Samadnagar Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
9.	M/s City Plaza, Sarafipura Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
10.	M/s Royal Palace, Bajarang Nagar Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
11.	M/s Salimar Garden, Madina Masjid k Pass Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
12.	M/s Maheshwari Devi Mandir Dharamshals Naikapura Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
13.	M/s Ekta Palace Ramkatha Marg Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
14.	M/s Rajmahal Palace Samadnagar Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
15.	Chandrakuwar Palace Pitambara Vard Malakpura Mahoba.	5,000.00	10	50000.00
16.	M/s Hotal Prashant Rejidency Bajarang Nagar Charkhari Baipass Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
17.	M/s Raghav Palace Charkhari Baipass Gandhi Nagar Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
18.	M/s Shankar Hotel Gandhi Nagar Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
19.	M/s Shivam Hotel Gandhi Nagar Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
20.	M/s Samarat Hotal Udal Chauk Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
21.	M/s Paras Hotal Kasbathai Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
22.	M/s Hotel Atithi Gandhi Nagar Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
23.	M/s Krishna Rejidensy Mahoba.	6,250.00	42	262500.00
24.	M/s Tourist Bangala Bajarang Chauk ahoba.	6,250.00	42	262500.00
25.	M/s Vinayak Hotel Chrkhari Baipass arupura Mahoba	6,250.00	42	262500.00
	Total			33,75000.00

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बांदा

EC For Hotels in Mahoba संलग्नक - 4 68

S. N.	Name and Address of Insustry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	ToTal Amount of Environment Compensation in Rupess	Regional Office Letter No. & Date
1.	M/s Krishna Amrit Kalyan Mandapam, Bajrang Nagar, Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(1) 20.11.2020
2.	M/s Mukul Vivah Ghar Chhajamanpura Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(4) 20.11.2020
3.	M/s Lalta Bhavan Bajarang Nagar Charkhari Baipass	5,000.00	10	50000.00	2071(3) 20.11.2020
4.	M/s Laxmi Guest House Bajarang Nagar Charkhari Baipas Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(2) 20.11.2020
5.	M/s Tulsi Guest House Subhash Nagar Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(7) 20.11.2020
6.	M/s Ambey Guest House Bajarang Nagar Parmanand Tiraha Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(9) 20.11.2020
7.	M/s Mandakini Palece Samadnagar Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(8) 20.11.2020
8.	M/s Shyam Palace Samadnagar Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(11) 20.11.2020
9.	M/s City Plaza, Sarafipura Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(10) 20.11.2020
10.	M/s Royal Palace, Bajaran Nagar Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(16) 20.11.2020
11.	M/s Salimar Garden Madina Masjid k Pass Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(24) 20.11.2020
12.	M/s Maheshwari Devi Mandir Dharamshala Naikapura Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(14) 20.11.2020
13.	M/s Ekta Palece Ramkatha Marg Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(15) 20.11.2020
14.	M/s Rajmahal Palace Samadnagar Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(13) 20.11.2020
15.	M/s Chandrakuwar Palace Pitambara Vard Malakpura Mahoba	5,000.00	10	50000.00	2071(12) 20.11.2020
16.	M/s Hotal Prashant Residency Bajarang Nagar Charkhari Baipass Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(22) 20.11.2020
17.	M/s Raghav Palace Charkhari Baipass Gandhi Nagar Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(23) 20.11.2020
18.	M/s Shankar Hotel Gandhi Nagar Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(17) 20.11.2020
19.	M/s Shivam Hotel Gandhi Nagar Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(05) 20.11.2020
20.	M/s Samrat Hotel Udal Chauk Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(19) 20.11.2020
21.	M/s Paras Hotal Kasbathai Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(18) 20.11.2020
22.	M/s Hotel Atithi Gandhi Nahar Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(20) 20.11.2020
23.	M/s Krishna Residency Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(21)

					20.11.2020
24.	M/s Tourist Bangla Bajarang Chauk Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(06) 20.11.2020
25.	M/s Vinayak Hotel Charkhari Baipass Mahoba	6,250.00	42	2,62,500.00	2071(25) 20.11.2020

10/11/17 - 5 70

Status of Gov. HCF District Mahoba complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016
(No.-1)

Sl. NO	Name & Add. of HCFs	No. Of Beds	Quantity of Waste (kg/day)	Authorization Status Granted/ Refused
1	2	3	4.0	5
1	M/s District Hospital (Male) Mahoba.	50	12.50	Granted
2	M/s District Hospital (Female) Mahoba.	100	25.00	Granted
3	Dist. TB HOSPITAL	0	0.00	Granted
4	M/s Relaway Hospital, Mahoba.	0	0.00	Granted
5	UPHC BHATIPURA, MAHOBA	3	0.75	Granted
6	UPHC BAJARIYA, MAHOBA	2	0.50	Granted
7	M/s CHC Kulpahad, Mahoba.	30	7.50	Granted
8	M/s CHC Charkhari, Mahoba.	30	7.50	Granted
9	M/s CHC Kabrai, Mahoba.	30	7.50	Granted
10	M/s CHC Panwari, Mahoba.	10	2.50	Granted
11	PHC DULARA, PANWADI	2	0.50	Granted
12	M/s PHC JAITPUR, Mahoba.	10	2.50	Granted
13	PHC KOHANYA	4	1.00	Granted
14	NPHC KHARELA CHARKHARI	4	1.00	Granted
15	NPHC AKAUNA	4	1.00	Granted
16	PHC DULARA	4	1.00	Granted
17	NPHC KHAMA	4	1.00	Granted
18	NPHC BHARWARA, KULPAHAR	4	1.00	Granted
19	NPHC GAUHRARI, CHARKHARI, MAHOBA	5	1.25	Granted
20	NPHC KILHUA	4	1.00	Granted
21	NPHC AJNAR	4	1.00	Granted

List of Pvt. HCF which BMW Authorization have been Rejected by Board in District- Mahoba

S.No.	Name	Address	District	No. of Bed	Genarate BMW	Dispatch no.	Dated
1	चांदसी क्लीनिक,	मुहल्ला नैकाना, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38710	11-07-19
2	सुन्दरम चिकित्सालय,	मुहल्ला लमौरा, जैतपुर, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38711	11-07-19
3	सफी क्लीनिक,	मुहल्ला हवेली दरवाजा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38712	11-07-19
4	सेठ क्लीनिक,	मुहल्ला उदल चौक, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38713	11-07-19
5	रहमानिया क्लीनिक एण्ड पैथोलैब,	मकनियापुरा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38714	11-07-19
6	अलशिफा क्लीनिक,	ग्राम मिल्कीपुरा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38715	11-07-19
7	आरोग्य चिकित्सा सदन,	मुहल्ला राम नगर, राठ रोड, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38716	11-07-19
8	रमेश चन्द्र मेमोरियल चिकित्सा केन्द्र,	जारीगंज, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38717	11-07-19
9	खरे आयुर्वेद चिकित्सालय,	कुलपहाड़, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38718	11-07-19
10	मधुकर मोहन द्विवेदी, सदर बाजार,	तहसील चरखारी, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38719	11-07-19
11	वात्सल्य क्लीनिक	रोडवेज बस स्टैण्ड के पास, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38720	11-07-19
12	रहमानिया क्लीनिक एण्ड पैथोलैब,	पारस होटल के पास, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38721	11-07-19
13	धर्मराज क्लीनिक,	मुहल्ला श्रीनगर, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38722	11-07-19
14	पटेल चिकित्सालयं,	बलखण्डेश्वर मंदिर के पास, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38723	11-07-19
15	शुभम होमियो क्लीनिक,	मुहल्ला खनगा बाजार, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38724	11-07-19
16	सोनी क्लीनिक नर्सिंग	मुहल्ला कुटी, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38725	11-07-19

17	चांदनी क्लीनिक	बी0 पार्क, तहसील चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38726	11-07-19
18	केयर क्लीनिक,	चौसियापुरा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38727	11-07-19
19	राय क्लीनिक,	मुहल्ला सुभाष चौक, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38728	11-07-19
20	बन्धन क्लीनिक,	मेन मार्केट, खरेला, पो0 आफिस खरेला	महोबा	0	0	H38729	11-07-19
21	खरे क्लीनिक,	वी पार्क, तहसील चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38730	11-07-19
22	सुरेश चन्द्र गुप्ता	कोतवाली रोड, मुहल्ला छजमनपुरा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38731	11-07-19
23	अवस्थी क्लीनिक	नियर मेडिकल हाल, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38732	11-07-19
24	रमा शंकर स्वर्णकार क्लीनिक,	तिगैला पनवाडी, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38733	11-07-19
25	द्विवेदी मल्टी स्पेलिटी डेन्टल क्लीनिक,	महोबा पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38734	11-07-19
26	अवनीश कुमार शिवहरे क्लीनिक,	मुहल्ला गांधीनगर, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38735	11-07-19
27	कुशवाहा होमियो चिकित्सालय	मुहल्ला देगनपुरा, पनवाडी, पो0 आफिस पनवाडी	महोबा	0	0	H38736	11-07-19
28	खुर्शीद क्लीनिक,	नियर बेगम मस्जिद, चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38737	11-07-19
29	मरियम क्लीनिक,	मुहल्ला विवेक नगर, कबरई, पो0 आफिस कबरई	महोबा	0	0	H38738	11-07-19
30	दानिश होमियो सेन्टर,	मुहल्ला गांधी नगर, पो0 आफिस गांधीनगर	महोबा	0	0	H38739	11-07-19
31	दिहुलिया क्लीनिक,	नियर बी0 पार्क चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38740	11-07-19

32	वात्सल्य क्लीनिक,	निकट प्राइवेट बस स्टैण्ड, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38741	11-07-19
33	वाजपेयी चिकित्सा केन्द्र एवं मेडिकल स्टोर,	कबरई, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38742	11-07-19
34	डॉ0 सुरेश कुमार राजपाल	खरेला,	महोबा	0	0	H38743	11-07-19
35	विद्या वल्लभ क्लीनिक,	मुहल्ला हमीरपुर चुंगी तिराहा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38744	11-07-19
36	धनवन्तरि क्लीनिक,	प्रा0 बस स्टैण्ड, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38745	11-07-19
37	आयुर्वेद चिकित्सालय,	कबरई, पो0 आफिस कबरई	महोबा	0	0	H38746	11-07-19
38	डॉ0 साकेत कुमार गुप्ता,	मुहल्ला हाथीखाना, चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38747	11-07-19
39	चरक चिकित्सालय,	सर्राफा बाजार, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38748	11-07-19
40	आयुष चिकित्सालय एवं संगम मेडिकल,	अम्बेडकर नगर, मेन रोड, कबरई पो0 आफिस कबरई	महोबा	0	0	H38749	11-07-19
41	खान पैथोलाजी,	नियर तिवारी मार्केट, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38750	11-07-19
42	अनस क्लीनिक	नगर पालिका परिषद, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38751	11-07-19
43	वात्सल्य क्लीनिक	रामकथा मार्ग, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38752	11-07-19
44	द्विवेदी मेडीकल हाल	तहसील पनवाडी, पो0 आफिस पनवाडी	महोबा	0	0	H38753	11-07-19
45	डा0 अम्बिका प्रसाद गुप्ता	छोटा रमना चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38754	11-07-19
46	दीप्ति क्लीनिक	नियर टाकीज तिराहा चरखारी, पो0 आफिस चरखारी	महोबा	0	0	H38755	11-07-19
47	वाजपेयी क्लीनिक	कोतवाली के पास मुहल्ला छजमनपुरा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38756	11-07-19

48	डा0 अजमल सगीर	मुहला हवेली दरवाजा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38757	11-07-19
49	जय क्लीनिक	को–आपरेटिव बैंक के पास श्रीनगर, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38758	11-07-19
50	निरंजन क्लीनिक	थाना महोबकंठ पनवाड़ी, पो0 आफिस पनवाडी	महोबा	0	0	H38759	11-07-19
51	बैजनाथ सेवा सदन	नियर पारस होटल, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38760	11-07-19
52	विनय दवाखाना	मुहल्ला हवेली दरवाजा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38761	11-07-19
53	डा0 मनीष कुमार पाठक	अरजरिया मुहाल कुलपहाड़, पो0 आफिस कुलपहाड	महोबा	0	0	H38762	11-07-19
54	डा0 महेश चन्द्र शर्मा	ग्राम–रिछा, पो0 भरवारा	महोबा	0	0	H38763	11-07-19
55	प्रकाश क्लीनिक	पो0 आफिस पनवाड़ी,	महोबा	0	0	H38764	11-07-19
56	डा0 मोहन लाल विश्वकर्मा	ग्राम व पो–सुगिरा	महोबा	0	0	H38765	11-07-19
57	श्रीवास्तव क्लीनिक	ग्राम व पो–सुगिरा	महोबा	0	0	H38766	11-07-19
58	दीक्षित क्लीनिक	मेनरोड पनवाड़ी, पो0 आफिस पनवाडी	महोबा	0	0	H38767	11-07-19
59	डा0 तुफैर अहमद सिद्दकी	मुहल्ला हवेली दरवाजा, पो0 आफिस महोबा	महोबा	0	0	H38768	11-07-19

List of Pvt. HCF which BMW Authorization have been Rejected in District- Mahoba

क0सं0	हास्पिटल का नाम व पता	बेड संख्या	जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन)	प्राधिकार की स्थिति
1	मेसर्स जियालाल मेमोरियल हास्पिटल क्लीनिक पनवाडी महोबा।	0	0	अस्वीकृत
2	मेसर्स त्रिपाठी क़्लीनिक 602 गॉधी नगर महोबा	0	0	अस्वीकृत
3	मेंसस उमर क्लीनिक मेनरोड कुलपहाड, महोबा	0	0	अस्वीकृत
4	मेसर्स जानकी क्लीनिक किशोर गंज कुलपहाड, महोबा	0	0	अस्वीकृत
5	मेसर्स बघेल डेन्टल क्लीनिक चरखारी, महोबा	0	0	अस्वीकृत
6	मेसर्स हैप्पी क्लीनिक टाकीज चौराहा चरखारी, महोबा	0	0	अस्वीकृत
7	मेसर्स फेमिली हेल्थ केयर सेन्टर सब्जी मण्डी महोबा।	0	0	अस्वीकृत
8	मेसर्स रामरती हास्पिटल, कुलपहाड, महोबा	0	0	अस्वीकृत
9	मेसर्स वैद्य धनीराम सोनी क्लीनिक, कुलपहाड, महोबा।	0	0	अस्वीकृत
10	मेसर्स मॉ पार्वती क्लीनिक, कुलपाहाड, महोबा।	0	0	अस्वीकृत

Status of Pvt. HCF District Mahoba complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016

क्0सं0	जनपद	हास्पिटल का नाम व पता	बेड संख्या	जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन)	प्राधिकार की स्थिति
1	महोबा	मेसर्स ग्लोबल हास्पिटल, राठ रोड, महोबा.	10	2.5	प्राप्त
2	महोबा	मेसर्स फ्रेंड्स क्लब हास्पिटल सोसायटी, चौक, महोबा.	3	0.75	प्राप्त
3	महोबा	मेसर्स जीवन ज्योति पैथोलाजी, जिला अस्पताल के सामनें, महोबा.	0	0	प्राप्त
4	महोबा	डॉ0 पुरवार क्लीनिक, जारीगंज महोबा.	0	0	प्राप्त
5	महोबा	मेसर्स थायरो केयर कलैक्शन सेन्टर, नर्सिगं कुटी मंदिर के बगल में, महोबा.	0	0	प्राप्त
6	महोबा	वर्धमान एक्सरे एवं पैथालॉजी सरस्वती विद्या मंदिर के सामने महोबा	0	0	प्राप्त
7	महोबा	बाबा पैथालॉजी लैब जिला अस्पताल के सामने महोबा	0	0	प्राप्त
8	महोबा	परमार मेडिकल सेन्टर बजरंग चौक महोबा	10	2.5	प्राप्त
9	महोबा	बसंत क्लीनिक सदर बाजार चरखारी, महोबा	0	0	प्राप्त
		Total →	23	5.75 kg/d	

जनपद– महोबा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–

जनपद– महोबा में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 05 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, महोबा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चरखारी, जनपद–महोबा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कबरई, महोबा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला, महोबा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुलपहाड़, महोबा)

क्र0 सं0	नगर पालिका/पंचायत का नाम	बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी नोटिस की तिथि
1.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महोबा	01.10.2019
2.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चरखारी, जनपद–महोबा	01.10.2019
3.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कबरई, महोबा	01.10.2019
4.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, खरेला, महोबा	01.10.2019
5.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, कुलपहाड़, महोबा	01.10.2019

दिनांक...... ....

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के पृष्ठ सं0 368 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने, जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा हेल्थ केयर फैसिलिटीज द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उद्योगों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को व्यय किये जाने हेतु तैयार किये गये Environment Restoration Plan का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से रिपोर्ट मा0 अधिकरण में ई–फाइल किया जाना है। प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 18.10.2019 नियत है।

3– बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय ताकि आवश्यकता से अधिक पदों का सृजन न हो। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाहीः– प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/ वित्त/कार्मिक विभाग)

(2) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत स्थित स्थानीय निकायों के द्वारा निस्तारित होने वाले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा

एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु स्थापित व्यवस्था एवं कार्ययोजना का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

(3) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज व अन्य का विवरण एवं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट की ईकाइवार मात्रा एवं उपचार/निस्तारण का पूर्ण विवरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जिनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समुचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित Environment Restoration Plan के यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन स्तर से भी अनुरोध कर लिया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(5) बैठक में नगर विकास विभाग से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, जबकि बैठक का नोटिस समय पर प्रेषित किया गया था। मा0 एन0जी0टी0 से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में नगर विकास विभाग के अधिकारी के उपस्थित न होने के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत बैठकों में सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

उपरोक्त समस्त सूचनायें एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.0719 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण हार्डकापी एवं साफ्टकापी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट ई–फाइल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T-458/81–7–2019
लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/वित्त/कार्मिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/चित्रकूट/महोबा।
3– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश/निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, वैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

क– जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना एवं उसके संचालन के उपरान्त जल नमूना की मानक के अनुसार बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि सम्मिलित होता है।आदि सम्मिलित होती है।

ख– वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती हैं।
2. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।

ग– ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम–2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट(एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।

घ– प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।

ङ–भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

च–होटल्स, वैंकटहाल्स आदि से जनित ठोस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उचित स्थल पर निस्तारण करना होता है।

छ–होटल्स, वैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

ज–होटल्स, वैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धि लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechnism Guideline_270820.pdf पर उपलब्ध है। तथा स्थापना से पूर्व अनापत्ति व संचालन से पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है।

82

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 0522-2720831, फैक्स 0522-2920764, 0522-2720676
ई-मेल - info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

पत्रांक : G33845/C-1/सा0 100/2020 दिनांक : 08.10.2020

वैधानिक सूचना

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल/ रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–400 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं दिनांक 23.07. 2020 के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा होटल / रेस्टोरेन्ट्स / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं / अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है :

a) Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management etc. as enumerated in the guidelines.

b) Individual to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
- Consent to Establish under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
- Consent to Operate under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
- Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
- Permission for Ground water Extraction from concerned Authorities, if required.
- Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
- Fire safety Certificate/NOC from Concerned Authorities.

c) Local Authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.

d) The state Board to have robust monitoring mechanisms to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechanism_Guidelines_270820.pdf पर उपलब्ध है। मा0 अधिकरण के निर्देशानुसार समस्त संबंधित रेस्टोरेंट / होटल / मोटल्स / बैंकटहाल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

R-G-33847

83

सलग्नक-10

दैनिक जागरण - 22-11-20

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष- 05192 220048
ई-मेल:- robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं. 2, चिल्ला रोड, बांदा (उ.प्र.) पिन- 210001

माननीय एन.जी.टी. में दायर ओ.ए. सं.- 102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैंकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के निस्तारण हेतु (सी.डब्लू.टी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लूटी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है। इसी प्रकार से सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. **जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम** एवं उपाय-
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. **वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए.पी.सी.एस. संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी.जी. सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. **प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख- उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत (सी.डब्लूटी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लू.टी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग- उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा

आज, कानपुर, 22 नवम्बर 2020

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

34 ए निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग , इन्दिरा नगर गेट नं02

बिसण्डा रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन - 210001

माननीय एन.जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 –102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0 टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनाक 08.10.2020 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद – बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के निस्तारण हेतु (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगर पालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, वैकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू– प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू– प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय –
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. पलास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसे बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होटलस वैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख– उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व झांसी तथा सी0डब्लूटी0एफ0 संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग– उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बनध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

घनश्याम
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड
बाँदा।

२०१६/एन०जी०टी०/ओ०ए० सं० 102/19/20 दिनांक 24/11/2020

85

Annexure-5

ई–मेल द्वारा

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 के द्वारा दिनांक 20.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में मांगी गई अनुपालन आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
2. सुश्री उर्वशी शर्मा, एस0आर0एफ0, ओवरसाईट कमेटी (एन0जी0टी0) पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी महोदय, जनपद– चित्रकूट।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

25/11/20
क्षेत्रीय अधिकारी

c:\users\hp\desktop\letter1.docx

विषयः-- **माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 स0 102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का प्रेषण।**

उपरोक्त के सन्दर्भ में माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0-102/2019 (आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 व अन्य) द्वारा दिनांक 24.01.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके प्रमुख अंश निम्न है-

"The UPPCB may inter-alia examine the issues of disposal of municipal solid waste, plastic waste, sewage, bio&medical waste, norms, noise pollution and extraction of groundwater."

उपरोक्तानुसार माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 16.05.2019 को निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था।(संलग्नक-1) जिसके अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा माननीय एन0जी0टी0 में शपथपत्र दाखिल किया गया है।(छायाप्रति संलग्न-2)

1. **जनपद- चित्रकूट में स्थापित वैंकेट हाल- 23**
   (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0- 19,31,250.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर बोर्ड मुख्यालय स्तर से नोटिस प्रेषित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न-3)
2. जनपद- चित्रकूट में स्थापित वैंकेट हाल- 23 (उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उनके विरूद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कुल रू0- 19,31,250.0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को नोटिस प्रेषित की गई है, जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट व मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को पृष्ठांकित की गई है।)(नोटिस की छायाप्रति संलग्न-4)
3. **जनपद चित्रकूट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में-**

   क. सरकारी अस्पताल-36 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त)

   ख. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज -26 (बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त-22, प्राधिकार आवेदन पत्र निरस्त एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित-04) (छायाप्रति संलग्न-5)
4. **जनपद- चित्रकूट नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध-**
   जनपद- चित्रकूट में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 04 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है। (अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कर्वी, जनपद-चित्रकूट अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, राजापुर, चित्रकूट एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, चित्रकूट) (छायाप्रति संलग्न-6)
5. माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त का विवरण। (संलग्नक-7)
6. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व

P.T.O.

प्लास्टिक नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी दी गई है।(छायाप्रति संलग्न–8)

7. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक– जी33845/सी0–1/सामान्य–100/2020 दिनांक 08.10.2020 को वैधानिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गई थी।(छायाप्रति संलग्न–9)
8. माननीय ओवर साइट समिति द्वारा दिनांक 08.10.2020 को दिये गये अनुपालन के सम्बन्ध में उक्त सभी वैंकेट हाल, होटल, मैरिज हाल एवं रेस्टोरैंट के द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने की स्थिति में उक्त सभी व्यवसायियों को जल अधिनियम 1974 व वायु अधिनियम 1981 यथा संशोधित व नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत व प्लास्टि नियम 2007, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 यथासंशोधित के अनुपालन के सम्बन्ध में समस्त सुझाव व जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व आज में विज्ञप्ति दिनांक 22.11.2020 को प्रकाशित करायी गई है। संलग्न–10

उपरोक्तानुसार माननीय ओवर साइट कमेटी(एन0जी0टी0) के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

24/11/20

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा

88

Annexure-8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक : F 35994/NGT(d)-37/2019 दिनांक : 16/5/19

कार्यालय आदेश ई-मेल

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के अन्तर्गत दिनांक 10.05.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

Issue for consideration is the punitive action against illegal operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016.......

.... 3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु जनपदवार निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है –

कम सं0	जनपद	समिति
1	हमीरपुर	श्री कालिका सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात श्री इमरान अली, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात
2	चित्रकूट	श्री वी0के0 मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा श्री राजकरन, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा
3	महोबा	श्री वी0के0 दुबे, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामदास, वैज्ञानिक सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी
4	बांदा	श्री जितेन्द्र लाल, सहा0पर्या0अभि0, क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी श्री रामनरेश, अनुश्रवण सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा

PTO

Scanned by CamScanner

89

3. The above report clearly acknowledges violation of law, including commission of criminal offences under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Still, no action under the statutory provisions has been taken by the UPPCB either to prohibit illegal activities or punitive action for initiating prosecution or to recover compensation on 'polluter pays' principle. The report does not cover marriage palaces/banquet halls. The inference is either incompetence of the UPPCB to enforce the law or collusion with the law violators resulting in failure of rule of law. This may call for action against the concerned office bearers of the UPPCB and the UPPCB as an institution.

4. Before we consider further coercive measures, let the Member Secretary, UPPCB remain present in person with the compliance report on the next date.

List for further consideration on 15.07.2019.

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

May 10, 2019
Original Application No. 102/2019
DV

Scanned by CamScanner

90

2. Vide order dated 24.01.2019, an action taken report was required to be furnished by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). The UPPCB has filed its report vide e-mail dated 05.05.2019 by acknowledging violation of law by several establishments. The report is as follows:

> "*All 23 local bodies situated in this regional Office has not established MSWTF in their area. The notice has been sent to the all concerned 23 local bodies for the compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016.*
>
> *In the District Banda there are 11 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 11 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2a***
>
> *In the District Chitrakoot there are 05 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 05 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2b***
>
> *In the District Hamirpur there are 11 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 11 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2c***
>
> *In the District Mahoba there are 07 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 07 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
>
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2d***
>
> *In District Banda there are 55 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation.* ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3a.***

Scanned by CamScanner

In District Chirakoot there are 36 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. **The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3b.**

In District Hamirpur there are 42 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. **The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3c.**

In District Mahoba there are 21 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. **The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3d.**

In District Banda there are 57 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 42 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 15 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4a

In District Chitrakoot there are 19 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 11 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 08 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4b

In District Hamirpur there are 20 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 19 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 01 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4c

In District Mahoba there are 39 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 03 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 36 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4d."

Scanned by CamScanner

संलग्नक - 2 92

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2019

IN THE MATTER OF:
ASHISH KUMAR DIXIT .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT PURSUANT TO THE ORDER DATED 10.05.2019 ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

1. In the above noted matter this Hon'ble Tribunal has passed a detailed order on 10.05.2019 and directed the U.P. Pollution Control Board to submit the compliance report. Pursuant to the said order the compliance report is being submitted. A copy of the order dated 10.05.2019 is being enclosed herewith and marked as Annexure-1.

2. In compliance of the said order vide office order dated 16.05.2019 U.P. Pollution Control Board has constituted four committees for compliance of the order of this Hon'ble Tribunal. The copy of office order dated 16.05.2019 is enclosed herewith and marked as Annexure-2.

3. The said committees have made extensive survey of each of the district Mahoba, Chitrakoot, Hamirpur and Banda and submitted the reports. On the basis of the said report the compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal are as follows:

CamScanner

(a) 101 banquet halls, hotels and marriage homes have been found operating in these districts. Districtwise details of these hotel, banquet halls and marriage homes are as follows:

Banda	42
Chitrakoot	23
Hamirpur	11
Mahoba	25
Total	101

Since the above units have not taken any consent from the U.P. Pollution Control Board, hence environmental compensation of Rs. 1,31,87,500/- has been imposed on those units. It is further pointed out that out of these 101 units, 59 units are in green category and 42 units are in orange category. **Show cause notices under section 33-A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended have been issued to these units by the State Board.**

(b) The details of health care facilities in government sector and private sector alongwith the position regarding authorization under Bio Medical Waste Management Rules, 2016 in these districts are as follows:

Districts	Govt. HCFs		Private HCFs			
	Total Nos.	Authorization granted	Total Nos.	Authorization granted	Authorization rejected	Authorization applied/pending
Banda	55	55	58	48	10	0
Chitrakoot	36	36	26	22	4	0
Mahoba	21	21	78	9	59	10
Hamirpur	42	42	25	21	4	0
Total	154	154	187	100	77	10

Show cause notice against defaulting 77 HCFs have been issued under the provisions of section-5 of Environment (Protection) Act 1986.

Scanned by CamScanner

(c) The details of the local bodies in these districts are as follows:

Districts	No. of Urban local bodies	Position of MSW treatment facility	Details of action taken
Banda	8	Not established	Show Cause Notice
Hamirpur	7	Not established	Show Cause Notice
Mahoba	5	Not established	Show Cause Notice
Chitrakoot	3	Not established	Show Cause Notice

Show cause notices to these 23 defaulting urban local bodies to start prosecution and to impose environment compensation have been issued under the provisions of Environment (Protection) Act 1986.

Thus, the factual and action taken report is being submitted to this Hon'ble Tribunal.

(ASHISH TIWARI)
Member Secretary,
U.P. Pollution Control Board

Annexure-1

95

Item No.05

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 102/2019

Ashish Kumar Dixit — Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh &Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: 10.05.2019

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s):
For Respondent(s): Mr. Pradeep Misra and Mr. DaleepDhyani, Advocates for UPPCB

NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORDER

1. Issue for consideration is the punitive action against illegal operation of marriage halls, nursing homes, clinics, hospitals, commercial complexes, hotels and other commercial establishments without requisite prior NOC/Consent to Operate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) in the Districts of Banda, Mahoba and Chitrakoot, in clear violation of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Environment (Protection) Act, 1986, Biomedical Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016.

Scanned by CamScanner

2. Vide order dated 24.01.2019, an action taken report was required to be furnished by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB). The UPPCB has filed its report vide e-mail dated 05.05.2019 by acknowledging violation of law by several establishments. The report is as follows:

> *"All 23 local bodies situated in this regional Office has not established MSWTF in their area. The notice has been sent to the all concerned 23 local bodies for the compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016.*
> *In the District Banda there are 11 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 11 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2a***
>
> *In the District Chitrakoot there are 05 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 05 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2b***
>
> *In the District Hamirpur there are 11 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 11 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2c***
>
> *In the District Mahoba there are 07 Hotels identified and no any hotel has valid water and air consent. The notice has been sent to all the 07 hotels regarding the compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and as amended and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and as amended.*
> ***The details of the status of the Hotels situated are being enclosed as Annexure No-2d***
>
> *In District Banda there are 55 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation.* ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3a.***

In District Chirakoot there are 36 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3b.***

In District Hamirpur there are 42 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3c.***

In District Mahoba there are 21 Gov. Hospitals identified and all the health care facilities has obtained valid authorization for Bio-Medical waste generation. ***The details of the status of the Hospitals are being enclosed as Annexure-3d.***

In District Banda there are 57 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 42 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 15 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4a

In District Chitrakoot there are 19 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 11 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 08 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4b

In District Hamirpur there are 20 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 19 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 01 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4c

In District Mahoba there are 39 Non Governments Hospitals, Nursing Homes, Blood Bank, Pathology Lab and other Health Care Facilities identified and only 03 health care facilities has obtained valid authorization for Bio Medical waste generation and remaining 36 health care facilities has not obtained valid authorization for Bio Medical waste generation. The related applications are under consideration.
The details of the status of the Non Gov. Hospitals are being enclosed as Annexure No-4d."

Chitrakoot

संलग्नक-3 98

S.No.	Name & Address of Industry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	Total amount of Environment Compensation in Rupess
1.	M/s Rahi Paryatan Awas Grah Sitapur, Chitrakoot.	6,250.00	50	312500.00
2.	M/s Matu Shri Jaidehi Anand Rai Jaipuriya Sitapur, Chitrakoot.	6,250.00	50	312500.00
3.	M/s Kamadgiri Bhavan, 61Ramghat Road, Chitrakoot.	6,250.00	50	312500.00
4.	M/s Vinod Laug , Ramghat, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
5.	M/s Hotel Ramkripa in, Purani Bajar, Karwi, Chitrakoot.	6,250.00	50	312500.00
6.	M/s Hotel Shri Ji Bhavan, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	49	306250.00
7.	M/s Hotel Bindiram, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	4	25000.00
8.	M/s Hotel Anand Rijarts, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	4	25000.00
9.	M/s Mandakini Satsang Bhavan, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	4	25000.00
10.	M/s Samridhi Bhavan, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	4	25000.00
11.	M/s Hari Bhavan, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	4	25000.00
12.	M/s Chandra Prabha Bhavan, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	4	25000.00
13.	M/s Hotel Rama Rejidency Ratnavali Marg, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
14.	M/s Hotel Radhika Bhavan, Ratnavali Marg, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
15.	M/s Jagdish Bhavan, Ratnavali Marg, Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
16.	M/s Shyama Bhavan, Ratnavali Marg, Sitapur Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
17.	M/s Pushpa Bhavan Ratnavali Marg, Sitapur, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
18.	M/s Sita Bhavan, Ratnavali 76Marg Sitapur Road, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
19.	M/s Asha Bhavan Ratnavali Marg, Sitapur Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
20.	M/s Agrasen Bhavan, Ramghat, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
21.	M/s Ganesh Bhavan, Ramghat, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
22.	M/s Laxmi Bhavan, Ramghat, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
23.	M/s Pitra Smrit Bhavan, Ramghat, Chitrakoot.	6,250.00	3	18750.00
	Total			1931250.00

EC For Hotels in Chitrakoot

S. N.	Name and Address of Insustry	Environment Compensation in Rs/Day	Violation Period	Total Amount of Environment Compensation in Rupess	Regional Office Letter No.
1.	M/s Rahi Paryatan Awash Grah Sitapur Chitrakoot	6,250.00	50	3,12,500.00	2073(23) 20.11.2020
2.	M/s Matu Shri Jaidehi Anand Rai Jaipuriya Sitapur Chitrakoot	6,250.00	50	3,12,500.00	2073(22) 20.11.2020
3.	M/s Kamadgiri Bhavan Ramgrah Roa Chitrakoot	6,250.00	50	3,12,500.00	2073(21) 20.11.2020
4.	M/s Vinod Laug Ramghat Chitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(20) 20.11.2020
5.	M/s Hotel Ramkripa IN, Purani Bazar, Karwi, Chitrakoot	6,250.00	50	3,12,500.00	2073(19) 20.11.2020
6.	M/s Hotel Shri Ji Bhavan Sitapur Chitrakoot	6,250.00	49	3,06,250.00	2073(18) 20.11.2020
7.	Hotel Bindiram Sitapur Road Chitrakoot	6,250.00	4	25,000.00	2073(17) 20.11.2020
8.	M/s Hotel Anand Rijarts Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	4	25,000.00	2073(16) 20.11.2020
9.	M/s Mandakini Satsang Bhavan Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	4	25,000.00	2073(15) 20.11.2020
10.	M/s Samridhi Bhavan Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	4	25,000.00	2073(14) 20.11.2020
11.	M/s Hari Bhavan Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	4	25,000.00	2073(13) 20.11.2020
12.	M/s Chandra Prabha Bhavan Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	4	25,000.00	2073(12) 20.11.2020
13.	M/s Hotel Rama Rejidency Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(11) 20.11.2020
14.	M/s Hotel Radhika Bhavan Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(10) 20.11.2020
15.	M/s Jagdish Bhavan Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(9) 20.11.2020
16.	M/s Shyam Bhavan Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(8) 20.11.2020
17.	M/s Pushpa Bhavan Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(7) 20.11.2020
18.	M/s Sita Bhavan Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(6) 20.11.2020
19.	M/s Asha Bhavan Ratnavali Marg Sitapur Road CHitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(5) 20.11.2020
20.	M/s Agrasen Bhavan Ramghat Chitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(4) 20.11.2020
21.	M/s Ganesh Bhavan Ramghat Chitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(1) 20.11.2020
22.	M/s Laxmi Bhavan Ramghat Chitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(3) 20.11.2020
23.	M/s Pitra Smrit Bhavan Ramghat Chitrakoot	6,250.00	3	18,750.00	2073(2) 20.11.2020

Illegible handwriting at the top right, and "100" written by hand at the top right.

Status of Gov. HCF District Chitrakoot complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016

Sl NO	Name of District	Name & Add. of HCFs	No. Of Beds	Quantity of Waste (kg/day)	Authorization Status Granted/Refused
1	2	3	4	5	6
1	Chitrakoot	M/s Government Goint Hospital, Karvi, Chitrakoot	100	25.0	Granted
2	Chitrakoot	M/s CHC, Manikpur, Chitrakoot.	30	7.5	Granted
3	Chitrakoot	M/s CHC, Sivrampur, Chitrakoot.	30	7.5	Granted
4	Chitrakoot	M/s CHC, Mau, Chitrakoot.	30	7.5	Granted
5	Chitrakoot	M/s CHC, Ramnagar, Chitrakoot.	30	7.5	Granted
6	Chitrakoot	M/s CHC, Rajapur, Chitrakoot.	30	7.5	Granted
7	Chitrakoot	M/s CHC, Pahadi, Chitrakoot.	30	7.5	Granted
8	Chitrakoot	PHC ETKHARI	4	1.0	Granted
9	Chitrakoot	PHC SARDUA	4	1.0	Granted
10	Chitrakoot	PHC SITAPUR	4	1.0	Granted
11	Chitrakoot	PHC CHHABOO	4	1.0	Granted
12	Chitrakoot	PHC KHAPTIHA MAU	4	1.0	Granted
13	Chitrakoot	PHC BIABAL MAU	4	1.0	Granted
14	Chitrakoot	PHC DEWAL	4	1.0	Granted
15	Chitrakoot	PHC GANEEWA	4	1.0	Granted
16	Chitrakoot	PHC BACHRAN	4	1.0	Granted
17	Chitrakoot	PHC LOHDA	4	1.0	Granted
18	Chitrakoot	PHC TIKRA	4	1.0	Granted
19	Chitrakoot	PHC BHAURI	4	1.0	Granted
20	Chitrakoot	PHC BIHARWAA	4	1.0	Granted
21	Chitrakoot	PHC ECHWARA	4	1.0	Granted
22	Chitrakoot	PHC KAUBRA	4	1.0	Granted
23	Chitrakoot	PHC BARWARA	4	1.0	Granted
24	Chitrakoot	PHC UNCHADEEH	4	1.0	Granted
25	Chitrakoot	PHC BAGDARI	4	1.0	Granted
26	Chitrakoot	PHC SARAIYA	4	1.0	Granted
27	Chitrakoot	PHC BARAHMAAPHEE	4	1.0	Granted
28	Chitrakoot	PHC MARKUDI	4	1.0	Granted
29	Chitrakoot	PHC ETWA DUDLA	4	1.0	Granted
30	Chitrakoot	PHC RASSIN SIVRAMPUR	4	1.0	Granted
31	Chitrakoot	PHC KHOH	4	1.0	Granted
32	Chitrakoot	PHC GHURETANPUR	4	1.0	Granted
33	Chitrakoot	PHC DARSENDA	4	1.0	Granted
34	Chitrakoot	NPHC PARSONJAA	4	1.0	Granted
35	Chitrakoot	Dist. TB HOSPITAL KARVI	0	0.0	Granted
36	Chitrakoot	UHC KARWI	2	0.5	Granted

Status of Pvt. HCF District Chitrakoot complince of Bio-Medical Waste Rules, 2016

क्र0सं0	हास्पिटल का नाम व पता	बेड संख्या	जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन)	प्राधिकार की स्थिति
1	मेसर्स कंचन हास्पिटल राजापुर चित्रकूट	10	2.5	प्राप्त
2	मेसर्स महेन्द्र कुमार गुप्ता क्लीनिक, कर्वी, चित्रकूट	0	0	प्राप्त
3	मेसर्स संजीवनी हास्पिटल, बलदाउगंज, कर्वी, चित्रकूट	10	2.5	प्राप्त
4	मेसर्स कामदगिरी स्कैन, पासी तिराहा, जिला हास्पिटल रोड, कर्वी, चित्रकूट.	0	0	प्राप्त
5	मेसर्स न्यू द्विवेदी चिकित्सालय, मऊ, चित्रकूट.	6	1.5	प्राप्त
6	मेसर्स सिद्ध विनायक पॉली क्लीनिक, बिसण्डा रोड, पहाडी, चित्रकूट.	10	2.5	प्राप्त
7	मेसर्स बैजनाथ मेमोरियल क्लीनिक, शंकर बाजार, राजापुर रोड, कर्वी, चित्रकूट.	0	0	प्राप्त
8	मेसर्स डेण्टल एण्ड आर्थो डेन्टिक्स केयर सेन्टर, गांधीगंज, ट्रैफिक चौराहे के पास, कर्वी, चित्रकूट	0	0	प्राप्त
9	मेसर्स सिद्ध विनायक हास्पिटल, बाई पास रोड, राजापुर, चित्रकूट	0	0	प्राप्त
10	मेसर्स ओ0पी0 मेमोरियल क्लीनिक पटेल नगर, बस स्टैण्ड, मानिकपुर, चित्रकूट	0	0	प्राप्त
11	मेसर्स यशोदा हास्पिटल, नयी दुनिया, पहाडी रोड, कर्वी, चित्रकूट	10	2.5	प्राप्त

12	कल्याण हास्पिटल पाली तिराहा कर्वी चित्रकूट	5	1.25	प्राप्त
13	मेसर्स श्रुति डायग्नोस्टिक सेन्टर, पुरानी बाजार, कर्वी, चित्रकूट.	0	0	प्राप्त
14	मेसर्स श्री जी क्लीनिक एण्ड डेण्टल केयर सेंटर, स्टेशन रोड, चित्रकूट.	0	0	प्राप्त
15	मेसर्स कुशवाहा क्लीनिक, बिसण्डा रोड,पहाडी, जनपद–चित्रकूट	0	0	प्राप्त
16	मेसर्स सुरेन्द्र अग्रवाल क्लीनिक, स्टेशन रोड, चित्रकूट.	0	0	प्राप्त
17	मेसर्स आर0 के0 सिंह हास्पिटल, रागौली, चित्रकूट.	105	26.25	प्राप्त
18	मेसर्स सिद्धार्थ स्माइल केयर डेन्टल क्लीनिक, पुरानी बराजार, कर्वी, चित्रकूट	0	0	प्राप्त
19	मेसर्स राम कृपा चिकित्सालय, रानीपुरभट्ट सीतापुर, चित्रकूट.	0	0	प्राप्त
20	मेसर्स दिवाकर हास्पिटल, गंगा जी रोड, कर्वी, चित्रकूट	10	2.5	प्राप्त
21	मेसर्स श्री हरि क्लीनिक लालता रोड, चित्रकूट	0	0	प्राप्त
22	मेसर्स चित्रकूट डेण्टल हास्पिटल, कर्वी बस स्टैण्ड के पास, चित्रकूट	0	0	प्राप्त

Total ⟶ 166 41.5 kg/d

List of Pvt. HCF which BMW Authorization have been Rejected in District-Chitrakoot

S.No.	Name	Address	District	No. of Bed	Genarate BMW	Dispatch no.	Dated
1	शिव पॉली क्लीनिक,	लालता रोड, ब्लाक व पोस्ट ऑफिस मऊ,	चित्रकूट	0	0	H38769	11-07-19
2	रेखा क्लीनिक	ग्राम ऐंचवारा, मानिकपुर,	चित्रकूट	0	0	H38770	11-07-19
3	गोयल क्लीनिक,	सिनैमा रोड, कर्वी, पो0 आफिस चित्रकूट	चित्रकूट	0	0	H38771	11-07-19
4	डेण्टल एण्ड आर्थोनोस्टिक सेन्टर,	कर्वी, पो0 आफिस चित्रकूट	चित्रकूट	0	0	H38772	11-07-19

104

सलंग्नक-6

जनपद– चित्रकूट नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध–

जनपद– चित्रकूट में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उक्त के द्वारा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनुपालन हेतु 04 नगर पालिका/पंचायत को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई है।(अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कर्वी, जनपद–चित्रकूट, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, राजापुर, चित्रकूट एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, चित्रकूट)

क्र0 सं0	नगर पालिका/पंचायत का नाम	बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी नोटिस की तिथि
1.	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, कर्वी, जनपद–चित्रकूट	01.10.2019
2.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, राजापुर, चित्रकूट	01.10.2019
3.	अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, चित्रकूट	01.10.2019

पत्रांक..... दिनांक..... ....

105

मननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2019 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–102/2019 आशीष कुमार दीक्षित बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश के पृष्ठ सं0 368 पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने, जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा हेल्थ केयर फैसिलिटीज द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उद्योगों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को व्यय किये जाने हेतु तैयार किये गये Environment Restoration Plan का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

C-2 M 30-9-19

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से रिपोर्ट मा0 अधिकरण में ई–फाइल किया जाना है। प्रकरण में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 18.10.2019 नियत है।

3– बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की Strengthening हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन के आधार पर तैयार किये गये प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय ताकि आवश्यकता से अधिक पदों का सृजन न हो। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही:– प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन/ वित्त/कार्मिक विभाग)

30/9/19

(2) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत स्थित स्थानीय निकायों के द्वारा निस्तारित होने वाले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा

/06

एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु स्थापित व्यवस्था एवं कार्ययोजना का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

(3) जनपद–बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट व महोबा के अन्तर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज व अन्य का विवरण एवं हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट की ईकाइवार मात्रा एवं उपचार/निस्तारण का पूर्ण विवरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाये। ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जिनके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समुचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित Environment Restoration Plan के यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन स्तर से भी अनुरोध कर लिया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

(5) बैठक में नगर विकास विभाग से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, जबकि बैठक का नोटिस समय पर प्रेषित किया गया था। मा0 एन0जी0टी0 से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में नगर विकास विभाग के अधिकारी के उपस्थित न होने के संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत बैठकों में सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जाय।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

उपरोक्त समस्त सूचनायें एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 15.0719 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण हार्डकापी एवं साफ्टकापी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराया जाये। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट ई–फाइल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.7-458/81–7–2019
लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/वित्त/कार्मिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/चित्रकूट/महोबा।
3– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0–102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये आदेश/निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि मे प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

क– जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना एव उसके संचालन के उपरान्त जल नमूना की मानक के अनुसार बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि सम्मिलित होता है।आदि सम्मिलित होती है।

ख– वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

1. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती हैं।
2. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना के बाद वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति जल प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अर्न्तगत भूमि का भू–प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।

ग– ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम–2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट(एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।

घ– प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियंम एवं उपाय–

होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।

ड़–भूगर्भ जल के दोहन होने एव उसके बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

च–होटल्स, बैंकटहाल्स आदि से जनित ठोस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अन्तर्गत उचित स्थल पर निस्तारण करना होता है।

छ–होटल्स, बैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

ज–होटल्स, बैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धि लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechnism Guideline_270820.pdf पर उपलब्ध है। तथा स्थापना से पूर्व अनापत्ति व संचालन से पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है।

स० प्रसं० क्र०-9
109

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 0522-2720831, फैक्स 0522-2920764, 0522-2720676
ई-मेल - info@uppcb.com वेबसाइट : www.uppcb.com

पत्रांक : G33845/C-1/मा0 100/2020 दिनांक : 08.10.2020

वैधानिक सूचना

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल/रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–400/2017 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 एवं दिनांक 23.07.2020 के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट्स/ मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट/होटल/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं/ अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है :

a) Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management etc. as enumerated in the guidelines.
b) Individual to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
   - Consent to Establish under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
   - Consent to Operate under Air/Water Act from U.P Pollution Control Board.
   - Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
   - Permission for Ground water Extraction from concerned Authorities, if required.
   - Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
   - Fire safety Certificate/NOC from Concerned Authorities.
c) Local Authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.
d) The state Board to have robust monitoring mechanisms to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट लिंक http://www.uppcb.com/pdf/Mechanism_Guidelines_270820.pdf पर उपलब्ध है। मा0 अधिकरण के निर्देशानुसार समस्त संबंधित रेस्टोरेंट/होटल/मोटल्स/बैंकटहाल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तनुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

R-G-33847

110

सलग्नक-10

दैनिक जागरण 22-11-20

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष- 05192 220048
ई-मेल:- robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं. 2, चिल्ला रोड, बांदा (उ.प्र.) पिन- 210001

माननीय एन.जी.टी. में दायर ओ.ए. सं.- 102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनांक 08.10.2020 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद-बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैंकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के निस्तारण हेतु (सी.डब्लू.टी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लूटी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है। इसी प्रकार से सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू हैं, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. **जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. **वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी.पी.आर. के अन्तर्गत भूमि का भू-प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए.पी.सी.एस. संयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) नियम-2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी.जी. सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. **प्लास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय-**
   होटल्स, वैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर्स को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसके बचाव हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, वैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख- उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत (सी.डब्लूटी.एफ. एम.पी.सी.सी. कानपुर व झांसी तथा सी.डब्लू.टी.एफ. संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग- उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा

111

आज 22-11-20

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

34 ए निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं02 चिल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन - 210001

माननीय एन.जी0टी0 में दायर ओ0ए0 सं0 –102/2019 आशीष सागर दीक्षित बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय एन0जी0 टी0 द्वारा गठित ओवर साइट कमेटी के द्वारा दिनाक 08.10.2020 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद – बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में स्थापित एवं संचालित होटल एवं बैकेटहाल्स में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अनुपालन हेतु तथा उक्त जनपदों में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के निस्तारण हेतु (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व सम्बन्धित जनपद के टाउन एरिया, नगर पालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बन्ध में नगरीय ठोस अपशिष्ट के नियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की अनुपालन आख्या हेतु निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम लागू है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल, बैंकटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

1. जल प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1974 के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू- प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में उचित क्षमता का जल उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
2. वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होता है, जिसके लिए डी0पी0आर0 के अन्तर्गत भूमि का भू- प्रयोग, प्रोजेक्ट लागत व जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ए0पी0सी0एस0 संयत्र की स्थापना आदि सम्मिलित होती है।
3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम एंव उपाय –
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व ध्वनि प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम – 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत डी0जी0 सेट (एकास्टिक इन्क्लोजर सहित) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिससे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जा सके।
4. पलास्टिक रूल्स 2007 के सम्बन्ध में नियम एवं उपाय–
   होटल्स, बैंकटहाल्स आदि की स्थापना से पूर्व प्लास्टिक रूल्स 2007 के अन्तर्गत प्लास्टिक के कैरी बैग आदि को प्रतिबन्धित किया है तथा प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक को एकत्रित कर पंजीकृत रिसाइकलर को भेजा जाना सम्मिलित होता है।
5. भूगर्भ जल के दोहन होने एवं उसे बचाव हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना तथा भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. होल्टलस बैंकटहाल्स आदि को फायर एण्ड सेफ्टी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
7. होटल्स, बैंकटहाल्स आदि के निर्माण हेतु सम्बन्धित लोकल अर्बन विभाग से प्रमाणित बिल्डिंग प्लान आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है।

ख– उक्त समस्त जनपद में संचालित पैथोलॉजी, प्राइवेट नर्सिंग होम व सरकारी अस्पताल से जनित जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत (सी0डब्लू0टी0एफ0 एम0पी0सी0सी0 कानपुर व झांसी तथा सी0डब्लूटी0एफ0 संगम मेडिसर्व, प्रयागराज) से सम्बन्धता प्राप्त कर निस्तारण करना सम्मिलित है।

ग– उक्त समस्त जनपद के टाउन एरिया, नगरपालिका से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भूमि का चिन्हांकन कर प्रोसेसिंग प्लांट आदि के सम्बनध में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम – 2016 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण।

उपरोक्त सूचना के अनुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के निर्देशानुसार अनुपालन किये जाने हेतु उपरोक्त सूचना प्रकाशित की जा रही है। उक्त सूचना/सुझाव के अनुसार अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

घनश्याम
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड
बाँदा।